[2018] 2 एस. सी. आर. 442

एस. सुकुमार

वी.

द सेक्रेटरी, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टरड

भारत और हमारे खातेदार।

(2018 का सिविल अपील सं. 2422 आदि)

फरवरी 23,2018

[आदर्श कुमार गोयल और उदय उमेश ललित, जे. जे.]

सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949: एसएस। 25 , 29 - आरोप है कि बहु-राष्ट्रीय लेखा फर्म (एम. ए. एफ.) पेशेवरों का अनुरोध कर रही हैं

पंजीकृत भारतीय सीए के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड नाम में काम करें

एक ही ब्रांड नाम वाली फर्म-एस का उल्लंघन करते हुए भारत में एम. ए. एफ. द्वारा अवैध संचालन। 224 कंपनी अधिनियम, सीए अधिनियम की धारा 25 और 29, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम और आईसीएआई द्वारा निर्धारित आचार संहिता-लिखित याचिका जिसमें पेशेवर संहिता के उल्लंघन के लिए ऐसे एमएएफ के साथ व्यवस्था करने वाली एमएएफएस और भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्मों (आईसीएएफ) के खिलाफ जांच शुरू करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

सी. ए. अधिनियम के तहत आचरण करना और दंडात्मक कार्रवाई की भी मांग करना आई. सी. ए. आई. द्वारा उन्हें दी गई अनुमति को रद्द करना-आयोजितः द.

आई. सी. ए. आई. इस मुद्दे की पूरी जानकारी के अभाव में पूरी जांच करने का दावा नहीं करता है कि क्या चार्टर्ड एकाउंटेंसी फर्मों ने भारत के बाहर से प्रेषण प्राप्त करके या भारत के बाहर लाइसेंस शुल्क/नेटवर्क शुल्क भेजकर अनुमति दी है।

एस का उल्लंघन करते हुए लेखा व्यवसाय में किसी कंपनी या विदेशी इकाई की भागीदारी। 25 सी. ए. अधिनियम और क्या नेटवर्क फर्मों द्वारा सामान्य ब्रांड नाम का उपयोग उल्लंघन है

एस के तहत निर्धारित पारस्परिकता। 29 सीए अधिनियम-आईसीएआई को प्रतिकूल निष्कर्ष निकालकर मामले को तार्किक अंत तक ले जाना चाहिए था, अगर संबंधित समूहों द्वारा जानकारी को रोक दिया गया था।

भारत संघ ने आई. सी. ए. आई. को एक विशेषज्ञ पैनल का गठन करने का निर्देश दिया

अपनी जांच को अद्यतन करना और इस सवाल पर गौर करना कि क्या और किस हद तक एस. एस. के अक्षर और भावना को लागू करने के लिए वैधानिक ढांचा है। 25 और सी. ए. अधिनियम की धारा 29 और सी. ए. के लिए वैधानिक आचार संहिता में पुनर्विचार की आवश्यकता है ताकि एम. ए. एफ. को उचित रूप से

अनुशासित और विनियमित किया जा सके-समिति सार्बेन्स ऑक्सले अधिनियम, 2002 की तर्ज पर एक उपयुक्त कानून की आवश्यकता पर भी विचार कर सकती है।

और डॉड फ्रैंक वॉल स्ट्रीट सुधार और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम,

442 एस. सुकुमार बनाम। भारत के चार्टर खातों का सचिव, संस्थान

2010 अमेरिका में या लेखा परीक्षकों के पेशे की निगरानी के लिए कोई अन्य उपयुक्त तंत्र-सवाल यह है कि क्या सलाहकारों के साथ लेखा परीक्षकों के हितों के टकराव के कारण, लेखा परीक्षकों का पेशा हो सकता है

एक विशेष निरीक्षण निकाय की जांच की जा सकती है-समिति अध्ययन समूह और विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट की जांच कर सकती है-यह एफडीआई नीति और फेमा विनियमों के प्रावधानों के प्रभावी प्रवर्तन के लिए कदमों पर भी विचार कर सकती है। सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949: एसएस। 25 , 29-लेखापरीक्षा-लेखा परीक्षक की भूमिका-एम. ए. एफ. द्वारा वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन -

अलग निरीक्षण निकाय-आयोजितः लेखा परीक्षकों की विफलता का परिणाम है अतीत में घोटालों में-पर्याप्त निरीक्षण तंत्र की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप जनहित और कानून के शासन का उल्लंघन होता है जो कला के तहत मौलिक अधिकारों का हिस्सा हैं। 14 और 21-लेखापरीक्षा कार्य और मौजूदा कानूनी अद्यतन के लिए अलग निरीक्षण निकाय का मुद्दा

रूपरेखा आवश्यक है-इसलिए, लेखा परीक्षा पेशे के लिए उचित निरीक्षण की आवश्यकता होती है और इस तरह के निरीक्षण तंत्र पर फिर से विचार करने की आवश्यकता होती है समय-समय पर।

सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949: एसएस। 25 , 29 – भारत में एम. ए. एफ. द्वारा अवैध संचालन-कॉर्पोरेट पर्दा उठाना-जैसा कि विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट में पाया है, एम. ए. एफ. एस. द्वारा केवल रूप में अनुपालन किया जाता है, न कि मूल रूप में, पंजीकृत होने से।

भारतीय भागीदारों के साथ साझेदारी फर्म, चार्टर्ड एकाउंटेंसी के व्यवसाय के लेन-देन के वास्तविक लाभार्थी बने रहते हैं

विदेशी संस्थाओं की कंपनियाँ-उठाने का सिद्धांत निगमित पर्दा तब लागू होता है जब कानून को दरकिनार करने की मांग की जाती है सार्वजनिक हित की सुरक्षा सर्वोपरि है, यदि

निगमित व्यक्तित्व का उपयोग कानून द्वारा लगाए गए दायित्वों से बचने के लिए किया जाना है, वास्तविक स्थिति को देखने की आवश्यकता है-यही सिद्धांत लाभ साझा करने की अनुमति नहीं देने या व्यवसाय के लिए अधिकतम सीमा का पालन करने की लागू नैतिकता के अनुपालन की देखरेख करते समय लागू होता है जो आउटसोर्सिंग के लिए उप अनुबंधों की तकनीक का उपयोग करके उल्लंघन किया जाता है-यदि परिसर समान है, तो फोन नंबर/फैक्स नंबर समान है, ब्रांड का नाम समान है, नियंत्रक इकाई समान है, मानव संसाधन समान है, यह उम्मीद करना मुश्किल होगा कि केवल एक फर्म के अलग पंजीकरण पर पूर्ण अनुपालन है-एस के तहत निषेध। 25 सी. ए. अधिनियम को पराजित माना जा सकता है।

प्रशासनिक कानूनः विशेषज्ञ निकाय आईसीएआई-आरोप है कि

आई. सी. ए. आई. के सदस्य एम. ए. एफ. को अपने नाम उधार देते हैं जो गैर [2018] 2 एस. सी. आर. हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सदस्य और उन्हें अवैध रूप से कार्य करने में सक्षम बनाना

चार्टर्ड एकाउंटेंसी और उनके साथ शुल्क और लाभ साझा करनाः एक विशेषज्ञ निकाय होने के नाते, आई. सी. ए. आई. को कानून को बनाए रखने के लिए मामले की आगे जांच करनी चाहिए और उचित कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को एक रिपोर्ट देनी चाहिए-हालांकि समिति ने उपलब्ध तथ्यों का विश्लेषण किया और पाया कि एम. ए. एफ. नैतिकता और कानून का उल्लंघन करने में शामिल थे, लेकिन इसने अति तकनीकी दृष्टिकोण अपनाया कि पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

सूचना और इस तरह के समूह पंजीकरण के अभाव में अपने अनुशासनात्मक अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी नहीं थे-एक प्रमुख पेशेवर निकाय तकनीकी पहलुओं पर अपने निरीक्षण कार्यों को सीमित नहीं कर सकता है और सभी जुड़े और आनुषंगिक मुद्दों में जाकर पेशे की नैतिकता और मूल्यों को बनाए रखने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने की उम्मीद की जाती है।

लेन-देन-सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949। 25 , 29 .

अपील और रिट याचिका का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. यह एक निर्विवाद तथ्य है कि भारत के बाहर से धन भेजा जाता है। इसी को निवेश कहा जा सकता है। भले ही प्रेषण भागीदारों को ब्याज मुक्त ऋण होने का दावा किया जाता है। यह राशि किसी भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंसी फर्म के अधिग्रहण के लिए भी हो सकती है। साझेदारी फर्मों के संबंध, हालांकि भारतीय भागीदार हैं, जो एक ही बुनियादी ढांचे से एक सामान्य ब्रांड नाम के तहत काम कर रहे हैं, विदेशी इकाई के साथ संबंध से इनकार नहीं किया जा सकता है। एफ. डी. आई. नीतियों, फेमा विनियमों और सी. ए. अधिनियम के उल्लंघन से इंकार करना संभव नहीं है। इस प्रकार, लंबित कार्यवाही में उचित कार्रवाई करनी पड़ सकती है या उपयुक्त मंच पर शुरू करनी पड़ सकती है। अब तक की गई जाँच को हर तरह से पूर्ण नहीं माना जा सकता है। आयकर अधिकारियों द्वारा जांच केवल आयकर के आकलन के लिए होती है। आरओसी द्वारा की गई कार्रवाई में यहां उठाए गए मुद्दे को भी शामिल नहीं किया गया है। द.

कहा जाता है कि ईडी द्वारा जांच अभी भी लंबित है, हालांकि कहा जाता है कि कई व्यक्तियों से पूछताछ की गई है और दस्तावेज एकत्र किए गए हैं। जो जांच के दायरे में हैं। उक्त जाँच फेमा उल्लंघनों से संबंधित है। आई. सी. ए. आई. ने विदेशी प्रेषण के संबंध में कार्रवाई शुरू की है और कहा जाता है कि उसने आर. बी. आई. को यह जांच करने के लिए लिखा है कि क्या आर. बी. आई. द्वारा जांच की गई थी। हालांकि, आई. सी. ए. आई. के अनुसार, इसकी जांच केवल एस. सुकुमार बनाम के संबंध में हो सकती है।

भारत के चार्टर खातों का सचिव, संस्थान

इसके साथ पंजीकृत सदस्य, उनके द्वारा किए गए कदाचार के लिए। आई. सी. ए. आई. इस मुद्दे पर पूरी जानकारी के अभाव में पूरी जांच करने का दावा नहीं करता है।

क्या चार्टर्ड एकाउंटेंसी फर्मों ने भारत के बाहर से प्रेषण प्राप्त करके या भारत के बाहर लाइसेंस शुल्क/नेटवर्क शुल्क भेजकर लेखा व्यवसाय में किसी कंपनी या विदेशी संस्था की भागीदारी की अनुमति दी है।

सीए अधिनियम और क्या नेटवर्क फर्मों द्वारा सामान्य ब्रांड नाम का उपयोग सीए अधिनियम की धारा 29 के तहत निर्धारित पारस्परिकता का उल्लंघन है। आई. सी. ए. आई. को प्रतिकूल निष्कर्ष निकालकर मामले को तार्किक अंत तक ले जाना चाहिए था, अगर संबंधित समूहों द्वारा जानकारी को रोक दिया गया था। [पारस 45-46] [493-E-H; 494 A-C]

2. इसमें कोई संदेह नहीं है कि आई. सी. ए. आई. के विशेषज्ञों की समिति की रिपोर्ट में विशेष रूप से शामिल एम. ए. एफ. का नाम नहीं है, समूह ए, बी, सी, डी का उल्लेख किया गया है। आई. सी. ए. आई. को अपनी जांच को अद्यतन करने के लिए एक विशेषज्ञ पैनल का गठन करना चाहिए। एक विशेषज्ञ निकाय होने के नाते, इसकी जांच की जानी चाहिए

कानून को बनाए रखने और उचित कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को एक रिपोर्ट देने के लिए आगे मामला। हालांकि समिति ने

उपलब्ध तथ्यों का विश्लेषण किया और पाया कि एम. ए. एफ. नैतिकता और कानून का उल्लंघन करने में शामिल थे, इसने अति तकनीकी दृष्टिकोण अपनाया कि पूर्ण जानकारी की अनुपलब्धता और इस तरह के समूह इसके अनुशासनात्मक अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी नहीं थे। पंजीकरण। एक प्रमुख पेशेवर निकाय तकनीकी पर अपने निरीक्षण कार्यों को सीमित नहीं कर सकता है और सभी जुड़े और आनुषंगिक मुद्दों में जाकर पेशे की नैतिकता और मूल्यों को बनाए रखने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने की उम्मीद की जाती है। इस प्रकार, आर. बी. आई./एफ. डी. आई. नीतियों और सी. ए. अधिनियम के गुप्त व्यवस्थाओं के उल्लंघन के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए न केवल ईडी द्वारा और आई. सी. ए. आई. द्वारा, बल्कि केंद्र सरकार द्वारा भी आगे की जांच के लिए एक मामला बनाया जाता है। [पारस 47-48] [494-C-F]

3. लेखापरीक्षा का पेशा अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। योग्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर कार्रवाई की जाती है और लेखा परीक्षकों की विफलताओं के परिणामस्वरूप अतीत में घोटाले हुए हैं। लेखापरीक्षा पेशे के लिए उचित निरीक्षण की आवश्यकता होती है।

इस तरह के निरीक्षण तंत्र पर समय-समय पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। एनरॉन एंडरसन घोटाले के बाद, वर्ष 2000 में, यू. एस. में सरबंस ऑक्सले अधिनियम लागू किया गया था जिसमें कॉर्पोरेट नेताओं को व्यक्तिगत रूप से अपनी कंपनी की वित्तीय सटीकता को प्रमाणित करने की आवश्यकता थी।

अधिनियम लेखापरीक्षा कंपनियों के कामकाज के लिए भी नियम निर्धारित करता है ताकि कॉर्पोरेट विश्लेषकों को जनहित की कीमत पर लाभ से रोका जा सके। लेखापरीक्षा कंपनियों को उन कंपनियों को गैर लेखापरीक्षा सेवाएं प्रदान करने से भी प्रतिबंधित कर दिया गया था जिनके लेखापरीक्षा

4. यह नीति निर्माताओं को इस मुद्दे पर निर्णय लेना है कि किसी विशेष क्षेत्र में किस हद तक वैश्वीकरण की अनुमति दी जा सकती है। और ऐसी शर्तें जिनके अधीन इसकी अनुमति दी जा सकती है। इस प्रक्रिया में देश के समाज और अर्थव्यवस्था में सुरक्षा उपाय सर्वोपरि हैं। यह न्यायालय शामिल नहीं हो सकता है

वास्तविक स्थिति देखने के लिए। जैसा कि विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट में पाया है कि एम. ए. एफ. द्वारा केवल रूप में अनुपालन किया जाता है न कि सार रूप में, भारतीय भागीदारों के साथ पंजीकृत साझेदारी फर्मों को प्राप्त करने से, चार्टर्ड एकाउंटेंसी के व्यवसाय का लेन-देन करने के वास्तविक लाभार्थी विदेशी कंपनियां ही रहती हैं। इकाइयाँ। साझेदारी फर्म केवल कानून की अवहेलना करने के लिए एक चेहरा हैं। निगमित पर्दा उठाने का सिद्धांत तब लागू होता है जब कानून को दरकिनार करने की कोशिश की जाती है। आधुनिक न्यायशास्त्र के क्षितिज के विस्तार में, यह निश्चित रूप से स्वीकार्य है। इसकी सीमाएँ हैं -

असीमित। सिद्धांत का क्षितिज विस्तार कर रहा है। जबकि कंपनी एक अलग इकाई है, न्यायालय ने इस नियम के कई अपवादों को मान्यता दी है। एक अपवाद है जहां कॉर्पोरेट एस. सुकुमार बनाम।

भारत के चार्टर खातों का सचिव, संस्थान

व्यक्तित्व का उपयोग धोखाधड़ी या अनुचित आचरण या कानून के उल्लंघन के लिए एक वस्त्र के रूप में किया जाता है। लोक हित की रक्षा करना सर्वोच्च महत्व, यदि निगमित व्यक्तित्व का उपयोग कानून द्वारा लगाए गए दायित्वों से बचने के लिए किया जाना है, तो वास्तविक स्थिति को देखने की आवश्यकता है। देखरेख करते समय भी यही सिद्धांत लागू होता है

लाभ साझा करने की अनुमति नहीं देने या व्यवसाय के लिए अधिकतम सीमा का पालन करने की लागू नैतिकता का अनुपालन जो है - आउटसोर्सिंग के लिए उप अनुबंधों की तकनीक का उपयोग करके उल्लंघन किया गया। यदि परिसर समान है, फोन नंबर/फैक्स नंबर समान है, ब्रांड नाम समान है, नियंत्रक इकाई समान है, मानव संसाधन समान हैं, तो यह उम्मीद करना मुश्किल होगा कि केवल एक फर्म के अलग पंजीकरण पर पूर्ण अनुपालन है। द.

सी. ए. अधिनियम की धारा 25 के तहत निषेध को विफल माना जा सकता है। शायद यही कारण है कि नेटवर्क फर्मों ने समिति द्वारा मांगी गई जानकारी देने से परहेज किया। लेखापरीक्षा कार्य के लिए अलग निरीक्षण निकाय का मुद्दा और मौजूदा कानूनी ढांचे को अद्यतन करना आवश्यक प्रतीत होता है। दूसरा पहलू भागीदारों को ब्याज मुक्त ऋण के एक घुमावदार मार्ग का उपयोग करके, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के निषेध का उल्लंघन करते हुए, सीए फर्मों में निवेश का है। तथ्य यह है कि आयकर अधिकारियों ने अनुदान लिया है

राजस्व प्राप्तियों के रूप में प्राप्त किया गया और उसी पर कर लगाया गया, यह मानने के लिए निर्णायक नहीं है कि रसीद एक ऐसा निवेश नहीं है जिसकी अनुमति नहीं है। यदि निवेश की अनुमति नहीं है, तो कानून की नीति को ऐसे निवेश को गुणवत्ता नियंत्रण के लिए अनुदान के रूप में वर्णित करके पराजित नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से जब अनुदान का उपयोग निवेश प्राप्त करने के लिए किया गया हो।

चार्टर्ड एकाउंटेंसी फर्म। [पारस 50,51] [495-सी-एच; 496-ए-ई]

5. पुनरीक्षण और पुनर्गठन निरीक्षण की अनुपस्थिति

तंत्र का मौजूदा चार्टर्ड एकाउंटेंसी पेशे पर एक तरफ और अनियंत्रित रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है

दूसरी ओर लेखापरीक्षा निकाय देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। इसके अलावा, चार्टर्ड एकाउंटेंसी व्यवसाय करने वाली कंपनियों के पास व्यक्तिगत या व्यक्तिगत जवाबदेही नहीं होगी जो आवश्यक है। जो व्यक्ति चेहरे हैं वे महत्वहीन हो सकते हैं और निषिद्ध गतिविधि के वास्तविक मालिक या लाभार्थी मुक्त हो सकते हैं। अध्ययन समूह और विशेषज्ञ समूह की रिपोर्टों से पता चलता है कि प्रवर्तन तंत्र पर्याप्त और प्रभावी नहीं है। इस पहलू पर सरकार के विशेषज्ञों द्वारा विचार किए जाने की आवश्यकता है। यह विचार कर सकता है कि क्या सरबंस ऑक्सले अधिनियम की तर्ज पर कॉर्पोरेट नेताओं को व्यक्तिगत रूप से सटीकता [2018] 2 एस. सी. आर. को प्रमाणित करने की आवश्यकता है।

वित्तीय विवरण। इसके अलावा, कॉर्पोरेट को कैसे रोका जाए

हितों के टकराव से लाभान्वित होने वाले विश्लेषक, लेखा परीक्षा कंपनियों को गैर-लेखा परीक्षा सेवाएं प्रदान करने से कैसे रोकें और लेखा परीक्षकों के लिए प्रोटोकॉल कैसे निर्धारित करें। अमेरिका में वित्तीय व्यवस्था की अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए 'डोड फ्रैंक वॉल स्ट्रीट सुधार और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2010' में एक और कानून बनाया गया है।

निवेश के जोखिम को कम करने के लिए संस्थानों पर विचार करने की आवश्यकता है। यह वित्तीय स्थिरता निगरानी परिषद (एफ. एस. ओ. सी.) नामक एक निरीक्षण निकाय की स्थापना करता है। [पैरा 52] [496-ई-जी; 497-ए-बी]

6. तदनुसार, निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाते हैं:

(i) भारत संघ इस प्रश्न पर विचार करने के लिए विशेषज्ञों की तीन सदस्यीय समिति का गठन कर सकता है कि क्या और किस हद तक सीए अधिनियम की धारा 25 और 29 और सीए के लिए वैधानिक आचार संहिता को लागू करने के लिए वैधानिक ढांचे पर पुनर्विचार की आवश्यकता है ताकि उचित रूप से अनुशासन और एमएएफ को विनियमित किया जा सके। द. समिति अमेरिका में सरबेन्स ऑक्सले अधिनियम, 2002 और डॉड फ्रैंक वॉल स्ट्रीट सुधार और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2010 या लेखा परीक्षकों के पेशे की निगरानी के लिए किसी अन्य उपयुक्त तंत्र की तर्ज पर एक उपयुक्त कानून की आवश्यकता पर भी विचार कर सकती है। सवाल यह है कि क्या लेखा परीक्षकों के हितों के टकराव के कारण

समिति किसी भी अन्य सामग्री के अलावा ऊपर निर्दिष्ट अध्ययन समूह और विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट की जांच कर सकती है। यह प्रभावी कदमों पर भी विचार कर सकता है। ऊपर निर्दिष्ट एफ. डी. आई. नीति और फेमा विनियमों के प्रावधानों को लागू करना। यह पहचान सकता है कि

रिपोर्ट करें।

((ii) ईडी तीन महीने के भीतर लंबित जांच पूरी कर सकता है; एस. सुकुमार बनाम।

भारत के चार्टर खातों का सचिव, संस्थान

(iii) आई. सी. ए. आई. सभी संबंधित मुद्दों की आगे जांच कर सकता है।

और ऐसे आगे के कदम उठाएँ जिन पर विचार किया जा सके। आवश्यक है। [पैरा 53] [497-सी-एच; 498-ए]

राजस्थान राज्य बनाम गोटन लाइम स्टोन खानजी उद्योग प्रा. लिमिटेड [2016] (1) एस. सी. आर. 216: (2016) 4 एससीसी 469; राज्य

कर्नाटक बनाम सेल्वी जे. जयललीता (2017) 6 एससीसी 263

संदर्भित किया गया है

मामला कानून संदर्भ

[2016] (1) एससीआर 216

संदर्भित किया गया है

पै

रा 50

(2017) 6 एससीसी 263

संदर्भित किया गया है

पै

रा 50

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 2422

2018 का

उच्च न्यायालय के 03.08.2015 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2012 की लिखित याचिका संख्या 17959 में बेंगलुरु में कर्नाटक सरकार

के साथ

डब्ल्यू. पी. (ग) 2013 की सं. 991

सुश्री पिंकी आनंद, ए. एस. जी., मुकुल रोहतगी, सिद्धार्थ लूथरा, सिद्धार्थ

सेठी, वी. गिरि, कपिल सिब्बल, एन. गणपति, रामजी श्रीनिवासन, राणा मुखर्जी, वरिष्ठ अधिवक्ता। प्रशांत भूषण, सुश्री नेहा राठी, प्रणव सचदेवा, आर. एन. करंजावाला, सुश्री रूबी सिंह आहूजा, विशाल गेहराना, उत्सव त्रिवेदी, साहिल मोंगा, शुभम सहगल, श्रीमती माणिक करंजावाला ( ) के लिए, कुणाल मिमानी, धीरज नायर, सी. मुकुंद, पंकज जैन, सुश्री स्वाति गुहा मजूमदार, एम. बी. इलाक्कुमानन, मोहम्मद। फारिस, बिजॉय कुमार जैन, एच. एस. चांदीओके, प्रशांत मिश्रा, एस. अर्थवान, के. जॉन, अभय

कुमार, सुश्री आशा गोपालन नायर, रंजीत कुमार, बालेन्दु शेखर, सुश्री स्निधा मेहरा, सुमित टी., सुश्री कीर्ति दुआ, राजेश रंजन, श्रीमती अनिल कटियार, मुकेश कुमार मरोरिया, कमल शंकर, अतुल एन., सुश्री आरती सिंह, प्रमोद दयाल, निकुंज दयाल, सुश्री पायल दयाल, तुषार भारद्वाज, सोहेल यादव, सिद्धार्थ सिंगला, सुश्री स्विकृति सिंघानिया, आदित्य भट, सुश्री सृष्टि सिंह, ध्रुव सूद, रिदम बी., सुश्री भ। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था आदर्श कुमार गोएल, जे. 1. एस. एल. पी. (सिविल) में दी गई छुट्टी

[2018] 2 एस. सी. आर. के 3 अगस्त, 2015 के आदेश के खिलाफ दायर 2016 का <आई. डी. 1.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2012 की रिट याचिका संख्या 17959 में कर्नाटक उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 (* सीए अधिनियम) की धारा 21 के तहत बहु-राष्ट्रीय लेखा फर्मों (एमएएफ) और भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंसी फर्मों (आईसीएएफ) के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है, जो सीए अधिनियम के तहत व्यावसायिक आचार संहिता के उल्लंघन के लिए ऐसे एमएएफएस के साथ व्यवस्था करते हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा उन्हें दी गई अनुमति को रद्द करके दंडात्मक कार्रवाई भी करते हैं। चूंकि 2013 की रिट याचिका (सिविल) No.991 में उठाया गया मुद्दा समान है, इसलिए दोनों मामलों की सुनवाई एक साथ की गई है। रिट याचिका में कुछ अन्य संबंधित मुद्दे भी उठाए गए हैं, जिनका संदर्भ नियत समय में दिया जाएगा।

मुद्दा

2. कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले और सीधे इस न्यायालय में दायर रिट याचिका से उत्पन्न अपील में उठाया गया मुद्दा हैः

क्या एम. ए. एफ. भारत में गुप्त तरीके से लागू कानून का उल्लंघन करते हुए काम कर रहे हैं और उक्त कानून को लागू करने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। यदि हां, तो उक्त कानून को लागू करने के लिए किन आदेशों को पारित करने की आवश्यकता है।

दलीलें

3. संक्षेप में, उच्च न्यायालय की रिट याचिका में कथन इस प्रकार हैंः एम. ए. एफ. भारत में अवैध रूप से काम कर रहे हैं और लेखा, लेखा परीक्षा,

बहीखाता और कराधान सेवाएँ। वे आई. सी. ए. एफ. की मदद से अवैध रूप से काम कर रहे हैं। ऐसी संस्थाओं का संचालन, अन्य बातों के साथ-साथ, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 224, सीए अधिनियम की धारा 25 और 29, आईसीएआई द्वारा निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन है। संदर्भ है

इस विषय पर आई. सी. ए. आई. के अध्ययन समूह की 15 सितंबर, 2003 की रिपोर्ट (जिसे इसके बाद 'अध्ययन समूह रिपोर्ट' के रूप में संदर्भित किया गया है) में प्रस्तुत किया गया है। अध्ययन समूह का गठन जुलाई में आई. सी. ए. आई. की परिषद द्वारा किया गया था।

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की सहयोगी फर्मों के लिए पेशेवर काम की खरीद (सीएएस)। आई. सी. ए. आई. के सदस्य एम. ए. एफ. को बचने का मार्ग प्रदान करने के लिए निदेशकों, प्रबंधकों आदि जैसे निकायों के साथ जुड़ रहे थे। सीए कार्यों का निर्वहन सजीव व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए न कि सजीव निकायों में।

सुकुमार वी। एस. आई. सी. , इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टरड कंटेंट्स ऑफ इंडिया [आदर्श कुमार गोएल, जे.]4. अध्ययन में सीए के विभिन्न क्षेत्रों की चिंताओं का उल्लेख किया गया है

ये हैं:

" (क) गैर-सदस्यों के साथ शुल्क साझा करना;

(घ) अन्य पेशेवरों के साथ बहु-अनुशासनात्मक फर्म; (ई) बहु-राष्ट्रीय लेखांकन की वाणिज्यिक उपस्थिति

कंपनियाँ;

(च) लेखा फर्मों के बीच नामों की समानता का प्रभाव

और एम. ए. एफ./एम. एस. सी. में लगे निगम -

सुधार और विनियमन;

(छ) ज्ञान के आधार और कौशल को मजबूत करना;

(ज) भारतीय सीए फर्मों और भारतीय सीए के विकास को सुविधाजनक बनाना।

अंतर्राष्ट्रीयता;

(i) सरकार, निगम जगत का दृष्टिकोण और

नियामक निकाय और दृष्टिकोण को आकार देने में आईसीएआई की भूमिका;

(जे) संयुक्त लेखापरीक्षा प्रणाली की शुरुआत;

(के) भाग के खंड (4) के तहत योग्यताओं की मान्यता

सनदी लेखाकारों के लिए पहली अनुसूची का I साझेदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अधिनियम, 1949

भारत के भीतर व्यवहार में सीए के अलावा कोई अन्य व्यक्ति या विदेश में;

(1) रखने के लिए विशेष क्षेत्रों की अवधारणा की समीक्षा करें

व्यापक लोक हित को ध्यान में रखते हुए ताकि

इसके भीतर आंतरिक लेखा परीक्षा शामिल करें;

(एम) कुछ वित्तीय शर्तों द्वारा निर्धारित

आग्रह

करते हुए

संस्थान/सरकारी

एजेंसियां

कुछ चुनिंदा कंपनियों की लेखा परीक्षकों/समवर्ती के रूप में नियुक्ति

अपने उधारकर्ताओं के लिए लेखा परीक्षक/सलाहकार।

5. अध्ययन समूह ने विचार किया कि क्या लक्ष्य ध्यान केंद्रित करना होना चाहिए

सीएस या आचार संहिता के साथ पेशे का विकास मार्गदर्शक है

और बाधाओं नहीं। आगे के मुद्दे थे कि नियामक क्या होना चाहिए

; क्या भारतीय सीए को लाभान्वित करने के लिए नेटवर्किंग की अनुमति दी जा सकती है;

एम. ए. एफ. को अपने [2018] 2 एस. सी. आर. के बारे में विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो सकती है।

लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं, गुणवत्ता मानकों आदि के संबंध में मानक का पालन करना। निर्णय लेना और वास्तविक नियंत्रण भारतीय कंपनियों के पास होना चाहिए। प्रत्येक भागीदार के लेखा परीक्षण की संख्या तय की जानी चाहिए। आई. सी. ए. आई. के सदस्य नहीं होने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ संबद्धता का उल्लेख करना विज्ञापन के बराबर हो सकता है जिसकी अनुमति नहीं थी। यदि संस्थाएं आई. सी. ए. आई. के साथ पंजीकृत हों तो इसकी अनुमति दी जा सकती है। यह भी सुझाव दिया गया कि बहु-अनुशासनात्मक की अवधारणा उपयुक्त सुरक्षा उपायों के साथ एकीकृत सेवा प्रदान करने के लिए फर्मों का पता लगाने की आवश्यकता थी। ज्ञान के उन्नयन के लिए कदम उठाने का भी सुझाव दिया गया। हालांकि, यह सुझाव दिया गया था कि एम. ए. एफ. की वाणिज्यिक उपस्थिति को वास्तविक या न्यायिक रूप से अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में सुरबेन्स ऑक्सले अधिनियम, 2002 का संदर्भ दिया गया था, जिसमें लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार करने वाली एक विदेशी सार्वजनिक लेखा फर्म को सार्वजनिक कंपनी लेखा निरीक्षण बोर्ड और प्रतिभूति और विनिमय आयोग के प्रति जवाबदेह बनाया गया था। इस प्रकार, आई. सी. ए. आई. के साथ पंजीकरण के बिना एम. ए. एफ. की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। गैर-भारतीय सीए को किसी भी भारतीय संस्था के किसी भी वित्तीय विवरण को प्रमाणित नहीं करना चाहिए। संबद्ध संस्थाओं के माध्यम से लेखा परीक्षा सेवाएं प्रदान करने का एम. ए. एफ. का दावा भारतीय लेखा फर्मों के लिए आवश्यक पारस्परिकता के बिना भारत में अप्रत्यक्ष प्रवेश के बराबर है। यह सुझाव दिया गया था कि जहां भारतीय सीए के साथ एमएएफ संबद्ध हैं, वहां भी अन्य सेवाओं की तरह उसी ब्रांड की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। एमएएफ के समान नाम का उपयोग ब्रांड निर्माण अभ्यास था जिसने यह धारणा दी कि भारतीय सीए फर्म स्वतंत्र नहीं थी। पहचान को अलग करना जरूरी था। वैधानिक विजिटिंग कार्ड आदि के उपयोग से पहचान का पृथक्करण प्रदर्शित होना चाहिए। प्रबंधन परामर्श सेवाओं के सामूहिक लेबल के तहत, सीए सेवाओं की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि लेखा परीक्षकों के लिए आचार संहिता को इस तरह से लागू नहीं किया जा सकता है। लेखापरीक्षा गैर-पेशेवर तरीके से नहीं की जा सकती है। विज्ञापन और प्रचार पेशे के उद्देश्य के लिए हानिकारक था ताकि उपयोगकर्ता केवल सेवाओं के वास्तविक मूल्य पर निर्भर रहे। यह भी ध्यान दिया जाता है कि हालांकि सीए को संस्थान के सदस्य के अलावा किसी और के साथ शुल्क या लाभ साझा करने की अनुमति नहीं है, लेकिन कुछ सदस्य एम. ए. एफ. को अपना नाम दे रहे थे जो गैर-सदस्य हैं और उन्हें अवैध रूप से चार्टर्ड एकाउंटेंसी के क्षेत्र में काम करने और उनके साथ शुल्क और लाभ साझा करने में सक्षम बना रहे थे। भारतीय सीए को सीए अधिनियम की धारा 29 के अनुसार उन देशों में पारस्परिकता प्रदान नहीं की गई है जिनसे एमएएफ संबंधित हैं।

एस. सुकुमार बनाम। एस. आई. सी. , इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया [आदर्श कुमार गोयल, जे.]

6. विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रस्तुत भारत में एम. ए. एफ. के संचालन पर 29 जुलाई, 2011 की एक रिपोर्ट का भी संदर्भ दिया गया है।

आई. सी. ए. आई. (संक्षिप्त विशेषज्ञ समूह रिपोर्ट के लिए) 'सत्यम घोटाले' और आचार संहिता निर्धारित करने वाले आई. सी. ए. आई. के निर्णयों के मद्देनजर। विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट में कहा गया है कि एम. ए. एफ. ऐसी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं जो सी. ए. अधिनियम की धारा 2 (2) के संदर्भ में सी. ए. द्वारा प्रदान की जाती हैं जैसे कि लेखांकन, लेखा परीक्षा, लेखा प्रक्रिया के मामलों के बारे में पेशेवर सेवाएं, वित्तीय तथ्यों या डेटा की प्रस्तुति या प्रमाणन। द.

एम. ए. एफ. निगमित/न्यायिक व्यक्ति होते हैं। वे अंतरराष्ट्रीय ब्रांड नाम में पेशेवर काम की मांग करते हैं। उन्होंने भारतीय सीए फर्मों को आईसीएआई के साथ उन्हीं ब्रांड नामों के साथ पंजीकृत किया है जो उनका अभिन्न अंग हैं। उनकी जवाबदेही के लिए कोई नियामक व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार, सीए अधिनियम की धारा 29 के तहत पारस्परिकता का सिद्धांत, धारा 25 कॉरपोरेट्स को चार्टर्ड अकाउंटेंसी अभ्यास और आचार संहिता से प्रतिबंधित करता है।

विज्ञापन पर प्रतिबंध और शुल्क साझा करने की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। एम. ए. एफ. लेखांकन, लेखापरीक्षा, बहीखाता, कराधान और कानूनी सेवाओं के क्षेत्र में भी एफ. डी. आई. नीति का उल्लंघन करते हैं। उक्त रिपोर्ट का विस्तृत संदर्भ फैसले के बाद के भाग में दिया जाएगा। 7. उच्च न्यायालय के समक्ष दायर स्थिति रिपोर्ट के रूप में आई. सी. ए. आई. का रुख यह है कि उच्च न्यायालय द्वारा 171 कंपनियों में से 161 की जांच की गई थी।

कथित उल्लंघनों और कुछ मामलों के संबंध में 29 जुलाई, 2011 की विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट के अनुसरण में अधिकार प्राप्त समिति को आगे की कार्रवाई के लिए निदेशक (अनुशासन) को भेजा गया था। शेष 10 फर्मों की जांच की जा रही थी। इस प्रकार, आई. सी. ए. आई. पहले ही अपनी ओर से कार्रवाई कर चुका है। 8. उच्च न्यायालय ने कहा कि आई. सी. ए. आई. के रुख को देखते हुए आगे कोई कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है और रिट याचिका का निपटारा किया।

9. इस अदालत में सीधे दायर रिट याचिका में, ऊपर उल्लिखित कथनों के अलावा, यह कहा गया है कि प्राइसवाटरहाउसकूपर्स प्राइवेट लिमिटेड (पीडब्ल्यूसीपीएल) और भारत में काम करने वाली उनकी नेटवर्क ऑडिट फर्मों ने अन्य उल्लंघनों के अलावा, विदेशी कानूनों का उल्लंघन किया है।

अधिकारी उचित कार्रवाई करने में विफल रहे हैं। एम/एस। प्राइसवाटर हाउस, बैंगलोर पूर्ववर्ती सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज का लेखा परीक्षक था। आठ साल से अधिक समय तक सीमित (सत्यम) लेकिन [2018] 2 एस. सी. आर. की खोज करने में विफल रहा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सबसे बड़ा लेखा घोटाला जो जनवरी, 2009 में इसके अध्यक्ष के स्वीकारोक्ति पर ही सामने आया। उक्त घोटाले पर 7.5 लाख अमेरिकी डॉलर (लगभग) का जुर्माना लगाया गया। Rs.38 करोड़) अन्य प्रतिबंधों के अलावा अमेरिकी नियामकों से। चूंकि लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणन बहुत महत्वपूर्ण है सब्सिडी, निर्यात प्रोत्साहन, अनुदान, सरकारी राजस्व और करों के हिस्से के भुगतान, पीपीपी (सार्वजनिक निजी भागीदारी) अनुबंधों में लागत और लाभ के बंटवारे आदि के मामले में, इस तरह के प्रमाणन में लगे पेशेवरों की निगरानी देश के कानून के अनुसार होनी चाहिए। तदनुसार, भले ही याचिकाकर्ता द्वारा 1 जुलाई, 2013 के पत्र के माध्यम से जांच की मांग की गई थी, लेकिन कोई संतोषजनक जांच नहीं की गई है।

10. पी. डब्ल्यू. सी. पी. एल. वह ब्रांड है जिसके तहत सदस्य कंपनियाँ

प्राइसवाटरहाउसकूपर्स इंटरनेशनल लिमिटेड, यू. के. (पी. डब्ल्यू. सी. आई. एल.), एक अंग्रेजी निजी कंपनी है जो पेशेवर सेवाएं प्रदान करती है।

लेखापरीक्षा, कर और सलाहकार सेवाएं। ' पीडब्ल्यूसी इंडिया 'फर्म पीडब्ल्यूसीआईएल की नेटवर्क सदस्य फर्म हैं। प्राइस वाटरहाउस (पीडब्लू), लवलॉक एंड लुईस (एलएल), प्राइस वाटरहाउस बैंगलोर, प्राइस वाटरहाउस एंड कंपनी बैंगलोर, प्राइस वाटरहाउस एंड कंपनी कोलकाता, प्राइस वाटरहाउस दिल्ली, प्राइस वाटरहाउस एंड कंपनी दिल्ली, प्राइस वाटरहाउस एंड कंपनी चेन्नई, दलाल एंड शाह मुंबई और दलाल एंड शाह अहमदाबाद के अलावा 10 ऑडिट फर्म हैं। उनके ग्राहकों में सरकारी विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन, मंत्रालय शामिल हैं जिनके लिए उन्हें भारी भुगतान किया जाता है। वे वैधानिक अनुपालनों के लेखापरीक्षा/प्रमाणन में लगे हुए हैं। उन्होंने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ. डी. आई.) नीति, आर. बी. आई. मास्टर सर्कुलर, फेमा अधिनियम और नियमों का उल्लंघन किया है। मई की अधिसूचना के अनुसार

3 , 2000 , फेमा अधिनियम की धारा 47 (2) (एच) के तहत, भारत के बाहर रहने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी देश की पूंजी में योगदान के माध्यम से निवेश नहीं कर सकता है।

आर. बी. आई. की अनुमति के बिना भारत में फर्म या स्वामित्व वाली संस्था या व्यक्तियों का कोई संघ। उक्त प्रावधान का उल्लंघन करते हुए, पीडब्ल्यूसी इंडिया संस्थाओं को वित्तीय वर्ष 2010-2011 में Rs.240 करोड़ प्राप्त हुए। पीडब्ल्यूसी इंडिया के अध्यक्ष ने ग्लोबल नेटवर्क से धन की प्राप्ति की पुष्टि की। रुपये की रसीद। मार्च, 2010 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में पी. डब्ल्यू. सी. पी. एल. के तुलन-पत्र और लाभ-हानि खाते में 1 करोड़ रुपये की राशि परिलक्षित होती है। रुपये की रसीद। दलाल एंड शाह, मुंबई के बैलेंस शीट और लाभ और हानि खाते में 7.97 करोड़ रुपये परिलक्षित होते हैं। इसके अलावा, पीडब्ल्यूसीपीएल, प्राइस वाटरहाउस (पीडब्ल्यू) और लवलॉक एंड लुईस (एलएल) को लगभग 1 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। हालांकि, कानून का उल्लंघन करते हुए इन राशियों की प्राप्ति के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। Rs.41 करोड़ का योग एस. सुकुमार बनाम था।

एस. आई. सी. , इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया [आदर्श कुमार गोयल, जे.]

प्राइस वाटरहाउस एंड कंपनी, कोलकाता द्वारा अपने चार भागीदारों को ब्याज मुक्त ऋण देकर एक अन्य लेखा परीक्षा फर्म, दलाल एंड शाह, मुंबई का अधिग्रहण करने के लिए प्राप्त किया गया ताकि वे भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों, फेमा नीति और आईसीएआई विनियमों के उल्लंघन में दलाल एंड शाह, मुंबई में उक्त राशि का निवेश कर सकें।

11. कंपनी अधिनियम का भी उल्लंघन होता है। पीडब्ल्यूसी की तीन फर्मों ने अन्य सदस्य फर्मों के लाभ के लिए बीमा प्रीमियम का भुगतान किया है जो अवैध है। लवलक एंड लुईस (एल. एल.), पीडब्ल्यूसी की एक सदस्य फर्म

भारत अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में एन. पी. ए. के उच्च स्तर को इंगित करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप ग्लोबल ट्रस्ट बैंक (जी. टी. बी.) को 2004 में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ विलय करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह जी. टी. बी. के संचित नुकसान के कारण हुआ। एल. एल. को गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एस. एफ. आई. ओ.) द्वारा शेयर की कीमतों में हेरफेर करने और खातों में धोखाधड़ी करने का भी दोषी पाया गया था। पीडब्ल्यूसी को भारत के बाहर लेखांकन घोटालों का दोषी पाया गया है।

12. उपरोक्त कथन करने के बाद, याचिका में सुझाव दिया गया है कि प्रभावी शासन सुनिश्चित करने और सरकारी खजाने को राजस्व के संभावित नुकसान से बचने के लिए खातों के जालीकरण को गैर-जमानती अपराध बनाया जाना चाहिए। लेखा परीक्षकों के लिए एक स्वतंत्र नियामक नियुक्त किया जाना चाहिए। पीडब्ल्यूसीपीएल और भारत में संचालित पीडब्ल्यूसी के ब्रांड नाम को साझा करने वाली उनके नेटवर्क ऑडिट फर्मों के खिलाफ उपरोक्त आरोपों की जांच के लिए प्रार्थना की गई है।

13. संक्षेप में, याचिकाकर्ताओं का मामला हैः

एम. ए. एफ. सी. ए. अधिनियम की धारा 25 और 29, आई. सी. ए. आई. द्वारा निर्धारित आचार संहिता, कंपनी अधिनियम, 15 सितंबर, 2003 की आई. सी. ए. आई. के अध्ययन समूह की रिपोर्ट में उल्लिखित एफ. डी. आई. नीति और 29 जुलाई, 2011 की आई. सी. ए. आई. के विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। जैसा कि उक्त रिपोर्टों में उल्लेख किया गया है, एम. ए. एफ. के संचालन के कारण मौजूदा नियामक ढांचे में अंतर और चुनौती को पूरा करने के लिए नियामक ढांचे का फिर से दौरा करने की आवश्यकता थी। लेखापरीक्षा कार्यों को एक अलग निरीक्षण निकाय के साथ अलग करने की आवश्यकता थी।

((ii) पीडब्ल्यूसी सर्विसेज बीवी, नीदरलैंड ने कानून का उल्लंघन करते हुए 10,000 करोड़ रुपये का निवेश किया। दलाल एंड शाह, मुंबई का अधिग्रहण करने के लिए पीडब्ल्यूसी, कोलकाता के माध्यम से 41.42 करोड़ रुपये, जो अपने भागीदारों को दलाल [2018] 2 एस. सी. आर. के साथ उक्त राशि का निवेश करने की अनुमति देते हुए ब्याज मुक्त ऋण देकर एक घुमावदार मार्ग के माध्यम से एक लेखा परीक्षा फर्म है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

& शाह, मुंबई। बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम के तहत यह स्पष्ट अपराध है। यह फेमा, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एक्ट और आर. बी. आई. मास्टर के तहत भी एक अपराध है।

परिपत्र।

(iii) पीडब्ल्यूसी सर्विसेज, बीवी नीदरलैंड ने 'कौशल बढ़ाने' के लिए भारत में विभिन्न पीडब्ल्यूसी संस्थाओं को Rs.240 करोड़ रुपये भेजे। उक्त राशि पर आयकर का भुगतान नहीं होता है।

प्रेषण को वैध बनाना। प्रेषण से पता चलता है कि विदेशी कंपनी का भारतीय फर्मों पर नियंत्रण है और इस प्रकार है

अप्रत्यक्ष रूप से भारत में चार्टर्ड एकाउंटेंसी व्यवसाय चलाना और उक्त राशि पर अपना रिटर्न भी प्राप्त करना।

(iv) भारत में पीडब्ल्यूसी फर्मों द्वारा 280 करोड़ की पॉलिसी के लिए बीमा प्रीमियम के संबंध में खातों में धोखाधड़ी की गई है।

कंपनी अधिनियम, 1956 का उल्लंघन।

(v) पीडब्ल्यूसी सत्यम घोटाले, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक (जीटीबी) और यूबी समूह (किंगफिशर) की विफलता के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार है।

एयरलाइंस) जिसके लिए कार्रवाई की जानी चाहिए।

(vi) एस. एफ. आई. ओ. और सी. बी. आई. ने पी. डब्ल्यू. सी. को दोषी पाया है। फिर भी, पीडब्ल्यूसी कंपनियाँ

मुकदमा नहीं चलाया गया है और सम्मानित किया गया है जी. एस. टी. सुविधा प्रदाता जैसे सरकारी अनुबंध

जी. एस. टी. नेटवर्क, केरल द्वारा परामर्श अनुबंध

सरकार कोच्चि को जोड़ने के लिए मास्टर प्लान तैयार कर रही है

दक्षिण भारत के औद्योगिक गलियारे के साथ।

14. उपरोक्त आधार पर याचिकाकर्ताओं की प्रार्थनाएँ इस प्रकार हैं:

(क) आई. सी. ए. आई. को पंजीकरण रद्द करने के लिए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए।

ये फर्म 2011 की अपनी रिपोर्ट के संदर्भ में जो

उन्होंने स्वयं स्वीकार कर लिया था।

(ख) इन लेखापरीक्षा कंपनियों पर अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949 के तहत।

(ग) पीडब्ल्यूसी कंपनियों पर फेमा, 1999 के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

ईडी द्वारा Rs.240 करोड़ और Rs.42 करोड़ के भुगतान के संबंध में।

(घ) पीडब्ल्यूसी कोलकाता फर्म और भागीदारों पर मुकदमा चलाने की आवश्यकता है।

बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम के तहत।

(ङ) आई. सी. ए. आई. और मंत्रालय एस. सुकुमार बनाम की ओर से जांच और कार्रवाई।

एस. आई. सी. , इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टरड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया [आदर्श कुमार गोयल, जे.]

पी. डब्ल्यू. सी. बैंगलोर द्वारा उपयोग की गई Rs.280 करोड़ की बीमा पॉलिसी के खातों के जालीकरण और गलत लेखांकन के संबंध में निगमित मामलों के विभाग बिना किसी प्रीमियम का भुगतान किए।

(च) आई. डी. 1 करोड़ की प्राप्ति की सी. बी. आई. जांच ताकि ऐसी प्राप्तियों के वास्तविक उद्देश्य का पता चल सके और

आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।

उच्चाधिकार प्राप्त समिति विशेषज्ञ समूह की 29 जुलाई, 2011 की रिपोर्ट

15. भारत में बहुराष्ट्रीय नेटवर्क लेखा फर्मों (एम. ए. एफ.) के संचालन पर 29 जुलाई, 2011 की अपनी रिपोर्ट में विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया था। आई. सी. ए. आई. ने भारत में एम. ए. एफ. के संचालन से संबंधित मुद्दों की जांच की। इस समूह का गठन सत्यम के अध्यक्ष के बयान से सामने आई उच्च परिमाण की कॉर्पोरेट धोखाधड़ी के संदर्भ में किया गया था। आई. सी. ए. आई. ने एम. ए. एफ. की अवांछनीय गतिविधियों/संचालन पर अंकुश लगाने की मांग की। मंत्रालय ने मुद्दों की पहचान करने के लिए आईसीएआई के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। इसके बाद, आई. सी. ए. आई. की उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा निम्नलिखित मुद्दों को विशेषज्ञ समूह को भेजा गयाः

" (क) जिस तरह से कुछ भारतीय सीए फर्म, जनता के सामने यह मानती हैं कि वे वास्तव में भारत में एमएएफ हैं, जिस तरह से असाइनमेंट आवंटित किए जाते हैं, सांठगांठ/लिंकेज का निर्धारण। कुछ भारतीय सीए फर्मों के प्रतिनिधियों के पास दो विजिटिंग कार्ड होते हैं-एक भारतीय सीए फर्म का और दूसरा एक बहुराष्ट्रीय इकाई का। वे प्रतिनिधित्व करते हैं

बहुराष्ट्रीय इकाई और भारतीय सीए के लिए काम की तलाश करें

दृढ़।

(ख) लेखा परीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में उपयोग किया गया नाम-मूल प्रश्न यह था कि क्या मैसर्स के लेखा परीक्षक हैं। सत्यम ने ऑडिट रिपोर्ट में अपनी फर्म के नाम का सही उल्लेख किया था। (ग) उपयोग के लिए देय नियम और शर्तें और लागत

शुल्क या लाभ के प्रतिशत के रूप में निर्धारित किया जाता है और क्या यह चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम, 1949, उसके तहत बनाए गए विनियमों के ढांचे के भीतर है और नैतिकता।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

भारतीय सीए फर्मों को उपार्जित अतिरिक्त लाभों की प्रकृति

एम. ए. एफ. ने भारत में अपना पैर कैसे रखा-बहुत पहले भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एक बैठक में यह बताया गया था कि एम. ए. एफ. एस. ने प्रतिनिधि कार्यालय स्थापित करने के लिए भारत में प्रवेश किया था। शर्तों के संबंध में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं और उन्हें भारत में काम करने की अनुमति देते समय निर्धारित शर्तें। हालांकि, आर. बी. आई. ने अपने पत्र का वीडियो बनाया

No.Ref.DBS.ARS.No.744/08: 91 : 008 (आई. सी. ए. आई.)/2003-2004 दिनांक 23 मार्च, 2004 ने अन्य बातों के साथ उल्लेख किया कि "भारतीय रिज़र्व बैंक ने किसी भी विदेशी लेखा परीक्षा फर्म को वर्तमान विनिमय नियंत्रण नियमों के तहत भारत में कार्यालय स्थापित करने या कोई गतिविधि करने की अनुमति नहीं दी है।"

मूल रूप से दी गई अनुमति का उल्लंघन

सरकार-इन फर्मों को भारत में प्रवेश करने के लिए मूल अनुमति क्या दी गई थी और बाद में क्या वे उस अनुमति के नियमों और शर्तों का पालन कर रहे हैं? यदि उल्लंघन पाया जाता है तो सरकार/एफ. आई. पी. बी. के साथ संपर्क करने के लिए

सरकार या एफ. आई. पी. बी., आई. सी. ए. आई. के पास दी गई अनुमति की प्रकृति के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, अनुमति की प्रकृति का संकेत देने वाले कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं। लेखांकन और संबंधित सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वर्तमान स्थिति क्या है? लेखांकन और संबंधित सेवाओं का उद्घाटन, कर सकते हैं

विकसित द्वारा पारस्परिक उद्घाटन से जोड़ा जाए

आई. सी. ए. आई. द्वारा इस पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक अतिरिक्त शक्तियाँ कदाचार-यदि मौजूदा कानून के तहत, आईसीएआई के पास इस प्रथा पर अंकुश लगाने के लिए पर्याप्त शक्तियां नहीं हैं, तो क्या उन्हें और अधिक शक्तियों की आवश्यकता होगी। एक अलग

सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949 में संशोधन का प्रस्ताव परिषद द्वारा सरकार को भेजा गया है।

अतिरिक्त शक्तियों की मांग करना।

मुझे बताया गया कि कुछ एम. ए. एफ. भारत में सक्रिय हैं और एन. जी. सेवाएं जो बिना पंजीकरण के सी. ए. द्वारा प्रदान की जाती हैं। कुछ एम. ए. एफ. भारत में वाणिज्यिक उपस्थिति वाले निगमित या न्यायिक व्यक्ति हैं और एस. सुकुमार बनाम को आश्वासन दे रहे हैं।

सेवाएँ। वे अपने नाम में अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड नाम शामिल करके लेखा परीक्षा कार्य सहित पेशेवर काम की मांग करते हैं। समान ब्रांड नामों के साथ कुछ भारतीय सीए फर्म आईसीएआई के साथ पंजीकृत थे। वे जनता को बताते हैं कि वे वास्तव में भारत में एम. ए. एफ. हैं, जबकि आई. सी. ए. आई. का मानना है कि वे विशुद्ध रूप से भारतीय सी. ए. फर्म हैं जिनका विदेशी संस्थाओं के साथ कोई संबंध नहीं है। सरकार, नियामकों और आई. सी. ए. आई. को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस तरह की गलत धारणा की अनुमति न दी जाए। सी. ए. के अलावा अन्य संस्थाएं एक कानून के तहत उनके विनियमन के अभाव में लेखा परीक्षा और आश्वासन सेवाएं प्रदान करने से प्रथा को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। भारतीय सीए को अन्य देशों में आपसी व्यवहार नहीं मिल रहा है, जबकि एमएएफएस भारतीय सीए फर्मों के माध्यम से भारत में काम करना जारी रखता है। एम. ए. एफ. के समान नाम वाली संस्थाएं, जो स्वचालित/एफ. आई. पी. बी. मार्ग से प्रवेश करती हैं, लेखा, लेखा परीक्षा और बहीखाता सेवाओं, कराधान सेवाओं और कानूनी सेवाओं के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ. डी. आई.) की अनुमति नहीं देने की नीति के विपरीत चार्टर्ड एकाउंटेंसी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। संस्थान ने कंपनी मामलों के विभाग से निम्नलिखित कार्रवाई करने का अनुरोध कियाः

" (i) भारतीय लेखांकन के पक्ष में पारस्परिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा स्थिति की समीक्षा करना।

पेशा;

((ii) यदि उल्लंघन पाया जाता है तो रद्द करने/रद्द करने/रद्द करने सहित एम. ए. एफ. के खिलाफ उचित कार्रवाई करना।

ऐसे लोगों को पहले से दी गई अनुमति को वापस ले लें

विदेशी इकाइयाँ;

((ग) यह सुनिश्चित करना कि सरकार द्वारा दी गई अनुमति के नियमों और शर्तों का पालन न किया जाए।

ऐसे एम. ए. एफ. एस. से प्रभावी ढंग से निपटा जाता है;

(iv) एम. ए. एफ./परामर्श फर्मों को, जिन्होंने या तो एक निगमित इकाई के रूप में या अन्यथा वाणिज्यिक उपस्थिति स्थापित की है, सरकारी नीति के संदर्भ में प्रतिबंधों की अक्षरशः अवहेलना करने से प्रतिबंधित करना; और

(v) यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन कंपनियों के नाम जो एम. ए. एफ. एस. के नामों के समान या समान हैं,

भारत में काम करना जारी रखने की अनुमति "।

17. संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय संबद्धता रखने वाली भारतीय सीए फर्मों से यह जांचने के लिए जानकारी मांगी कि क्या वे सीए पेशे के ढांचे के भीतर काम कर रही हैं।

इसके परिणामस्वरूप फर्मों के 171 नामों का पता चला लेकिन उक्त फर्म विदेशी संस्थाओं के साथ समझौतों की प्रतियां और अपने कर विवरणी जमा करने के लिए अनिच्छुक थे। कुछ सीए फर्मों ने कुछ हिस्सों को छिपाकर दस्तावेज जमा किए

दस्तावेज़ों की गोपनीयता और व्यावसायिक रूप से संवेदनशील प्रकृति का दावा करने वाले उनके समझौतों, साझेदारी विलेखों और मूल्यांकन आदेशों/आयकर रिटर्न में निहित। कुछ कंपनियों ने विवरण नहीं दिया।

18. समूह ने नेटवर्क समूहों को 'ए' से 'डी' माना। 'ए' के संबंध में, यह देखा गया कि बहुराष्ट्रीय इकाई ने नेटवर्क में भाग लेने वाली फर्मों को ब्रांड नाम का उपयोग करने की अनुमति दी थी। द. सदस्यों और फर्मों के बीच संबंधों और सामान्य प्रबंधन और नियंत्रण के तहत एक ही कार्यालय से इन्हें कैसे नियंत्रित किया जाता है, इसका खुलासा नहीं किया गया था। वेबसाइट पर प्रकट किए गए आंकड़ों से संबंध स्पष्ट था। फर्मों को गैर-सीए फर्मों से वित्तीय अनुदान प्राप्त हुआ

संस्थान के सदस्यों के लिए संस्थान के गैर-सदस्य से लाभ का कोई भी हिस्सा प्राप्त करने पर प्रतिबंध। नेटवर्किंग फर्मों ने एक बहुराष्ट्रीय इकाई को प्रेषण किया है, जो कथित रूप से सदस्यता शुल्क, प्रौद्योगिकी लागत और प्रशासन लागत आदि के लिए अपने राजस्व को साझा करते हैं। लेकिन, लागतों का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया था। लागत में विपणन, प्रचार और विज्ञापन शामिल नहीं थे, जिनकी सी. ए. ए. अधिनियम के अनुसार अनुमति नहीं थी। इस दावे का समर्थन करने के लिए डेटा प्रस्तुत नहीं किया गया था कि प्रेषण केवल ऐसे मामलों के संबंध में है और बहुराष्ट्रीय संस्थाओं के प्रयासों के माध्यम से उत्पन्न व्यवसाय की मात्रा से संबंधित नहीं है। ए.

बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद पूर्ण और पूर्ण खुलासा नहीं किया गया। नेटवर्क में सभी फर्मों द्वारा उपयोग किया जाने वाला डोमेन नाम बहुराष्ट्रीय इकाई के नाम के समान था जो इस विचार का समर्थन करता है कि वे मानते हैं कि ये फर्म अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का हिस्सा थे। कुछ फर्म उसी परिसर से काम करती हैं जहाँ से उनके अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी भी काम करते हैं। वे एक ही टेलीफोन और फैक्स नंबर साझा करते हैं। वे अन्य फर्मों के साथ मानव संसाधन साझा करते हैं। आई. सी. ए. आई. द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का पालन किए बिना अंकित सहायकों को भी साझा किया जाता है।

19. समूह 'बी' के संबंध में, बहुराष्ट्रीय इकाई ने भारतीय फर्मों के साथ उप-लाइसेंस समझौतों को निष्पादित किया था। उन्होंने कहा कि वे

अपने शुल्क या लाभ को किसी भी बहुराष्ट्रीय संस्था के साथ साझा नहीं करते हैं, लेकिन कुछ केंद्रीय सुविधाओं और शुल्कों से संबंधित लागतों की प्रतिपूर्ति सालाना की जाती है। सीए फर्मों ने अपने ई-मेल आईडी में अंतर्राष्ट्रीय इकाई के नाम का उपयोग किया। ई-मेल आईडी और डोमेन नाम बहुराष्ट्रीय इकाई के नाम से मिलते-जुलते थे। इस प्रकार, उसी तरह, नेटवर्क 'ए' के संबंध में, नेटवर्क 'बी' में सीए फर्मों का मानना है कि वे एस. सुकुमार बनाम का हिस्सा हैं।

अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क। वे एक ही परिसर, एक ही टेलीफोन साझा करते हैं

और फैक्स नंबर। उन्होंने बहुराष्ट्रीय इकाई के साथ अपने राजस्व को साझा करते हुए बहुराष्ट्रीय इकाई को सालाना प्रेषण किया, जिसे उन्होंने केंद्रीय सुविधाओं और शुल्कों के लिए लागत की प्रतिपूर्ति के लिए होने का दावा किया है। वे विवरण नहीं देते हैं जिससे पता चलता है कि लागत में विपणन, प्रचार और विज्ञापन शामिल थे।

20. नेटवर्क 'सी' की फर्में भी अपने ई-मेल आईडी में डोमेन नाम के हिस्से के रूप में एमएएफ के नाम का उपयोग कर रही हैं, जो इसमें प्रदर्शित होता है।

21. नेटवर्क 'डी' के संबंध में भी यही स्थिति थी। नेटवर्क 'डी' में फर्मों ने डोमेन के रूप में बहुराष्ट्रीय इकाई के नाम का भी इस्तेमाल किया नाम।

22. परिषद ने सांविधिक लेखापरीक्षा और कर लेखापरीक्षा के लिए अधिकतम सीमा निर्धारित की है जो व्यवहार में एक सदस्य एक वर्ष में कर सकता है। लेकिन, अन्य फर्मों को काम का उप-अनुबंध देकर, फर्म निर्धारित काम से अधिक काम कर रहे हैं जिससे प्रदर्शन की गुणवत्ता में गिरावट आ रही है।

23. सदस्य फर्मों को आपस में काम को संदर्भित करने की आवश्यकता होती है। कुछ फर्मों के संबंध में, रेफरल शुल्क देय है और

प्राप्त करने योग्य। समझौतों में नाम और लोगो के उपयोग के लिए भी प्रावधान किया गया है। सी. ए. एस. पर लागू आचार संहिता के अनुसार रेफरल शुल्क का भुगतान/प्राप्ति निषिद्ध है।

24. समूह ने नोट किया कि फर्मों के नाम भारत में काम करने वाले एम. ए. एफ. के नामों के समान हैं, लेकिन पूर्ण डेटा के अभाव में, गैर-सदस्यों के साथ शुल्क या लाभ साझा करने, अनुरोध/प्रचार के माध्यम से व्यवसाय को सुरक्षित करने के संबंध में सी. ए. अधिनियम के उल्लंघन के रूप में एक निर्णायक निष्कर्ष दर्ज नहीं किया जा सका। भारतीय सीए फर्मों पर लागू होने वाली आचार संहिता का पालन नहीं करने वाली संस्थाओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबद्धता अन्य भारतीय सीए फर्मों के साथ समान अवसर प्रदान करती है। भारतीय सीए फर्म का नियंत्रण प्रभावी रूप से गैर-सदस्यों/कंपनियों और विदेशी संस्थाओं के हाथों में रखा जाता है।

25. रिपोर्ट में कुछ टिप्पणियां इस प्रकार हैं:

" 4.2 आई. सी. ए. आई. की परिषद ने विचार-विमर्श किया है कि कुछ एम. ए. एफ. एस. भारत में सक्रिय हैं और संस्थान के साथ पंजीकरण के बिना और [2018] 2 एस. सी. आर. के बिना, आम तौर पर चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रदान की जाने वाली आश्वासन सेवाओं, कराधान सेवाओं आदि जैसी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

नैतिक और स्वतंत्र मुद्दों पर किसी भी अनुशासनात्मक और नियामक नियंत्रण के अधीन होना। कुछ एम. ए. एफ. को या तो निगम के रूप में और संस्थान के ब्रांड नाम वाले अन्य न्यायिक व्यक्तियों को अन्य नियामकों/सरकार द्वारा भारत में परामर्श व्यवसाय करने की अनुमति दी गई थी। इन संस्थाओं ने भारत में महत्वपूर्ण वाणिज्यिक उपस्थिति स्थापित की है और आश्वासन सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियाँ कुछ मामलों में अंतरराष्ट्रीय ब्रांड नाम का उपयोग करके और बड़े अनुभव, बुनियादी ढांचे और अंतरराष्ट्रीय डेटाबेस को पेश करके, जिसमें कारोबार, मानव शक्ति का आकार, तकनीकी विशेषज्ञता और अन्य देशों में अनुभव शामिल हैं, ऑडिट सहित पेशेवर काम की मांग करती हैं। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियाँ प्रसिद्ध एम. ए. एफ. के नाम और शैली/व्यापार नाम/ब्रांड नाम के तहत काम करती हैं और कुछ मामलों में प्रस्तुतियाँ देने और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन करने सहित कुछ भारतीय सी. ए. के साथ सह-ब्रांड बहुराष्ट्रीय नाम भी करती हैं। वास्तव में इन फर्मों और व्यक्तियों के साथ काम करते हैं

कंपनियां वास्तव में एम. ए. एफ. हैं और इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं वास्तव में ऐसी एम. ए. एफ. द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं हैं। 4.3 कुछ भारतीय सीए फर्म और उनसे जुड़ी निजी लिमिटेड कंपनियां जनता के सामने यह मानती हैं कि वे वास्तव में भारत में एमएएफ हैं, जबकि आईसीएआई/नियामकों का मानना है कि वे विशुद्ध रूप से भारतीय सीए फर्म हैं जिनका विदेशी संस्थाओं के साथ कोई संबंध नहीं है।

4.4 सरकार, नियामकों और आई. सी. ए. आई. के लिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि इस तरह की गलत धारणा की अनुमति न दी जाए और व्यवहार में चार्टर्ड एकाउंटेंट और सी. ए. के अलावा अन्य सभी संस्थाएं

फर्मों को वास्तव में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लेखा परीक्षा और आश्वासन सेवाएं प्रदान करने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, क्योंकि इन्हें सार्वजनिक हित में विनियमित किया जाना आवश्यक है। विशिष्ट अधिनियम के तहत लेखांकन से संबंधित पेशे का उद्देश्य

संसद, जिसमें एक सख्त अनुशासनात्मक और नैतिक संहिता शामिल की गई थी, यह सुनिश्चित करने के लिए थी कि पेशेवर मानकों में कोई कमी न हो और सेवाएं विनियमित तरीके से प्रदान की जाएं।

सुकुमार वी। एस. आई. सी. , इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टरड कंटेंट्स ऑफ इंडिया [आदर्श कुमार गोयल, जे.]

4.5 कुछ मामलों में, संयुक्त उद्यम समझौतों, एमओयूएस, विदेशी सहयोग समझौतों, शेयरधारकों के समझौतों, निजी इक्विटी भागीदारी और पक्षकारों के बीच आदान-प्रदान किया जाता है जो अंतरराष्ट्रीय मूल द्वारा निर्धारित नियुक्ति लेखा परीक्षकों को अनिवार्य करते हैं। कुछ मामलों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सरकारी विभाग/केंद्र और राज्य सरकारें विभिन्न व्यावसायिक सेवाओं के लिए विज्ञापन देती हैं जिनमें बुनियादी पात्रता की आवश्यकता होती है।

बहुराष्ट्रीय नेटवर्क लेखा फर्मों या अन्य निगमित संस्थाओं का पक्ष लेते हैं। यह भी देखा गया है कि लेखा परीक्षकों को बिना किसी पेशेवर कारण के बहुराष्ट्रीय नेटवर्क लेखा फर्मों के साथ नेटवर्क वाली भारतीय सीए फर्मों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

4.6 आई. सी. ए. आई. विभिन्न देशों में लेखा निकायों के साथ अपनी योग्यता की मान्यता और प्रवेश स्तर की आवश्यकताओं के लिए अपने सदस्यों के लिए छूट के लिए प्रयास कर रहा है।

लेखांकन, लेखापरीक्षा के साथ-साथ आई. सी. ए. आई. के शैक्षिक और प्रशिक्षण आवश्यकताओं को उचित श्रेय देने वाले कुछ पेपर।

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम। इसके अलावा, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंटों को विभिन्न अदृश्य/गैर-पेशेवर बाधाओं जैसे वीजा, नागरिकता और निवास आवश्यकताओं, ऐसे देशों में सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रक्रियात्मक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जबकि संस्थान अपनी योग्यता की मान्यता के लिए जोरदार प्रयास कर रहा है- भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए।

या अन्य रूप में, जो पहले से ही व्यावसायिक रूप से भारत में मौजूद हैं और एम. ए. एफ./भारतीय सी. ए. फर्मों के रूप में रखने के आधार पर काम कर रहे हैं और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां कानूनी रूप से स्वामित्व में हो सकती हैं और भारतीय सनदी लेखाकारों को प्रबंधित किया जाता है, जबकि वास्तव में ये पूरी तरह से शासित एम. ए. एफ. हैं जिनका मुख्यालय विकसित क्षेत्रों में है।

देश, जो अपने देश में भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंटों को प्रतिबंधों द्वारा समान अवसर देने से इनकार कर रहे हैं, जैसा कि समझाया गया है

यहाँ। इसके परिणामस्वरूप भारतीय लेखाकारों के पक्ष में भारतीय लेखांकन सेवाओं की बातचीत करने की क्षमता में काफी कमी आई है। वास्तव में, इसने भारतीय लेखांकन के लिए भारत सरकार की सौदेबाजी की क्षमता पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाला है डब्ल्यू. टी. ओ./के तहत चल रही वार्ताओं के तहत व्यवसाय

सेवाओं में व्यापार का सामान्य समझौता (जी. ए. टी. एस.)।

XXXX 4.8 हालांकि, यह देखा गया है कि प्रबंधन परामर्श सेवाओं (जैसा कि सी. पी. सी. 865 में परिभाषित किया गया है) प्रदान करने के लिए स्वचालित/एफ. आई. पी. बी. मार्ग के माध्यम से प्रवेश करने वाली एम. ए. एफ. के समान नाम वाली संस्थाएं इस तरह से दी गई अनुमति का उल्लंघन कर रही हैं और कराधान सेवाएं (सी. पी. सी. 863), लेखा परीक्षा, लेखा और बहीखाता सेवाएं (सी. पी. सी. 862) और कानूनी सेवाएं (सी. पी. सी. 861) प्रदान कर रही हैं। अप्रैल, 1995 में परिषद द्वारा गठित अध्ययन दल और फरवरी, 2002 में परिषद द्वारा गठित अध्ययन समूह के ध्यान में लाए गए उदाहरण अनुलग्नक-III में रखे गए हैं। कुछ के वेबसाइट पृष्ठों से लिए गए उद्धरण

एम. ए. एफ. में से कुछ अनुलग्नक-IV में दिए गए हैं।

लेखापरीक्षा जैसी उन सेवाओं के लिए जो उनके द्वारा देश के प्रासंगिक कानूनों के तहत प्रदान नहीं की जा सकती हैं। XXX

4.16 जिन 171 फर्मों से दस्तावेज/विवरण मांगे गए थे, उन्होंने आम तौर पर उन दस्तावेजों को प्रस्तुत किया जो मांगे गए थे। हालांकि, कुछ सीए फर्मों ने दस्तावेजों की गोपनीयता और व्यावसायिक रूप से संवेदनशील प्रकृति का दावा करते हुए अपने समझौतों, साझेदारी विलेखों और मूल्यांकन आदेशों/आयकर रिटर्न में निहित कुछ हिस्सों को छिपाकर दस्तावेज जमा किए हैं। शुल्क के बंटवारे, आंतरिक और बाहरी प्रेषण, खर्चों की प्रकृति, गैर-सदस्यों के साथ वित्तीय लेनदेन, शुल्क की प्रकृति के संबंध में नैतिकता संहिता के साथ इन फर्मों के अनुपालन की पुष्टि करने के लिए वित्तीय विवरण पूछे गए थे।

भुगतान, गैर-सदस्यों से संबंधित शुल्क के राजस्व बंटवारे की प्रकृति और चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम, 1949, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम सहित अन्य कानूनों के ढांचे के भीतर अनुमति नहीं दी गई गतिविधियों की पहचान करना।

योगदान (विनियमन) अधिनियम, 1976, आचार और आचरण संहिता।

सुकुमार वी। एस. आई. सी. , इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टरड कंटेंट्स ऑफ इंडिया [आदर्श कुमार गोयल, जे.]

कुछ भागों की मास्किंग/चूक को संस्थान के निर्देशों का पालन न करने के रूप में माना गया था, और ऐसी फर्में जिन्होंने कुछ भागों को मास्क किया था, उन्हें अतिरिक्त रूप से ऐसा करने के लिए कहा गया था

पिछले 3 वर्षों के कर लेखापरीक्षा विवरणों सहित उनके वित्तीय विवरणों यानी आय और व्यय खाते और तुलनपत्र या मामलों के विवरण की प्रतियां जमा करें। हालाँकि, ये फर्म, बिना मास्क वाली और पूरी जानकारी जमा करने के बजाय, इस तरह के डेटा पूछने के पीछे के तर्क/तर्क पर सवाल उठा रही थीं, जो फर्मों के अनुसार व्यावसायिक रूप से संवेदनशील/संवेदनशील हैं।

गोपनीय। अनुस्मारक के बावजूद, कुछ कंपनियों ने बिना मास्क के/पूरा विवरण जमा नहीं किया था।

XXX

5 ए. 8 अवलोकन -

(i) बहुराष्ट्रीय संस्था ने नेटवर्क में भाग लेने वाली फर्मों को ब्रांड नाम का उपयोग करने की अनुमति दी है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि क्या फर्मों ने हस्ताक्षर किए हैं संस्था के साथ लाइसेंस समझौता या नहीं। सदस्यों और फर्मों के बीच संबंध कि इन्हें उसी से कैसे नियंत्रित किया जाता है

सामान्य प्रबंधन और नियंत्रण के तहत कार्यालयों का खुलासा नहीं किया जाता है। वेबसाइट पर खुलासा किया गया डेटा, हालांकि, स्पष्ट रूप से लिंक को सामने लाता है।

((ii) हालांकि नेटवर्क में भाग लेने वाली कुछ फर्में

' ए 'ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं, अभी तक नाम लाइसेंस समझौते के वेरिन दस्तावेज़ में बहुराष्ट्रीय इकाई को प्रेषण करते समय, पूरे नेटवर्क के राजस्व को ध्यान में रखा जाता है।

(iii) वेरिन दस्तावेज़ में पूरक विनियमन का उल्लेख है लेकिन संस्थान को दस्तावेज़ जमा करते समय

नेटवर्क 'ए' में फर्मों ने इसकी एक प्रति जमा नहीं की है।

(iv) नेटवर्क 'ए' में नेटवर्किंग फर्मों को एक गैर-सीए फर्म से वित्तीय अनुदान प्राप्त हुआ है। संस्थान के सदस्य को गैर-सदस्य से लाभ का कोई भी हिस्सा प्राप्त करने से प्रतिबंधित किया गया है।

संस्थान से। एक सदस्य/फर्म की ओर से ऐसा कार्य चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम 1949 की पहली अनुसूची के भाग I की मद (3) का उल्लंघन प्रतीत होता है। (v) नेटवर्क 'ए' में नेटवर्किंग फर्मों ने अपने राजस्व को [2018] 2 एस. सी. आर. के साथ साझा करते हुए बहुराष्ट्रीय इकाई को धन भेजा है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बहुराष्ट्रीय इकाई, जिसे उन्होंने सदस्यता शुल्क, लाइसेंस की लागत सहित प्रौद्योगिकी लागत के लिए होने का दावा किया है - सॉफ्टवेयर, बजट खर्च, प्रशासन की लागत आदि के लिए प्राप्त किया गया। हालांकि, फर्मों ने विवरण/गणना प्रदान नहीं की है और क्या लागत में विपणन, प्रचार की लागत शामिल है।

और भारत के साथ-साथ विदेशों में उत्पादों और सेवाओं और किसी भी अन्य लागत का विज्ञापन करना जिसकी अनुमति चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम, 1949, उसके तहत बनाए गए विनियमों और आचार संहिता के अनुसार नहीं है। नेटवर्क 'ए' की फर्मों ने भी अपने इस दावे के समर्थन में कोई आंकड़ा प्रस्तुत नहीं किया है कि उनके द्वारा बहुराष्ट्रीय इकाई को प्रेषित धन केवल उपरोक्त मामलों के संबंध में है और यह किसी भी तरह से बहुराष्ट्रीय इकाई के प्रयासों से उत्पन्न व्यवसाय की मात्रा से संबंधित नहीं है और

ब्रांड नाम का उपयोग करके। इसमें कुल और पूर्ण प्रकटीकरण परिषद के निर्देशों के आधार पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति/समूह द्वारा बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद इस पर ध्यान नहीं दिया गया है।

जो एक चार्टर्ड एकाउंटेंट के लिए खुले नहीं हैं। हालाँकि, उन्हें संस्थान के नेटवर्किंग दिशानिर्देशों का पालन करना आवश्यक है। एक सदस्य/फर्म की ओर से ऐसा कार्य चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की पहली अनुसूची के भाग I की मद (एस) 1 का उल्लंघन प्रतीत होता है।

(vii) नेटवर्क ए में नेटवर्किंग फर्म और उनके सभी

कर्मचारी अपने ईमेल आईडी में बहुराष्ट्रीय इकाई के नाम के समान डोमेन नाम का उपयोग कर रहे हैं और यह उनके विज़िटिंग कार्ड में प्रदर्शित होता है। यह स्पष्ट रूप से नेटवर्क ए में इन फर्मों द्वारा इस बात का समर्थन करता है कि वे एम. ए. एफ. के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क ए का हिस्सा हैं। इनमें से कुछ फर्म उसी परिसर से काम करती हैं जहाँ से उनके अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी भी काम करते हैं। वे एक ही टेलीफोन और फैक्स नंबर साझा करते हैं। इस प्रकार यह स्थापित किया जाता है कि वे एक ही हैं। नेटवर्क ए और एम. ए. एफ. एस. में भारतीय फर्म वास्तव में वही संस्थाएं हैं जो आश्वासन, प्रबंधन और संबंधित सेवाएं प्रदान करती हैं और इस तरह उनके संचालन को ऐसा लगता है

सनदी लेखाकार अधिनियम, सुकुमार बनाम के प्रावधानों को दरकिनार करना।

एस. आई. सी. , इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टरड कंटेंट्स ऑफ इंडिया [आदर्श कुमार गोयल, जे.]

1949 और उसके तहत बनाए गए विनियम। संस्थान के किसी सदस्य को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ संबद्धता का खुलासा करने से प्रतिबंधित किया गया है। इस संबंध में परिषद ने अपनी 172 वीं बैठक में

जनवरी, 1995 में आयोजित, नैतिक मानकों और लेखा परीक्षकों के अनुचित निष्कासन पर तत्कालीन समिति की सिफारिश से सहमत होते हुए कि अभिव्यक्ति/शब्दों का उपयोग, "के साथ सहयोग में"., संवाददाताओं। चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की पहली अनुसूची के भाग I के मद (7) के प्रावधानों को देखते हुए, सी. ए. की फर्म के लेखन सामग्री, लेटर-हेड, विजिटिंग कार्ड और पेशेवर दस्तावेजों पर ".....

(viii) नेटवर्क ए में नेटवर्किंग फर्म अपने मानव संसाधन को नेटवर्क में अन्य फर्मों के साथ साझा कर रही हैं। हालांकि, यह यह पता लगाना संभव हो सका है कि क्या स्पष्ट सहायता को भी फर्मों के बीच घुमाया जा रहा है। यह उल्लेख किया जा सकता है कि मुखर सहायकों को एक सदस्य को सौंपा जाता है, जिसका दायित्व होता है

उन्हें प्रशिक्षित करना है। इस तरह, स्पष्ट सहायता नहीं हो सकती है

किसी अन्य सदस्य द्वारा उपयोग करने की अनुमति। हालाँकि, इस मुद्दे को हल करने के लिए, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, विनियम, 1988 के विनियम 54 के तहत एक प्रावधान मौजूद है जो स्पष्ट सहायकों को उन क्षेत्रों में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने का अवसर प्रदान करने की दृष्टि से स्पष्ट सहायता के समर्थन को सक्षम बनाता है जहां प्रिंसिपल नहीं हो सकता है। इस तरह के समर्थन की अनुमति कुछ नियमों के तहत दी गई है।

प्रतिबंध और शर्तें और वही होना आवश्यक है माध्यमिक शिक्षा पर प्रशिक्षण शुरू होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर अभिलेख के लिए संस्थान को भेजा जाता है।

XXXX

5 बी. 7 अवलोकनः

उनके ईमेल आईडी में बहुराष्ट्रीय इकाई के नाम के समान डोमेन नाम, और वही विजिटिंग कार्ड में प्रदर्शित किया जाता है। यह स्पष्ट रूप से नेटवर्क सी में इन फर्मों की हिस्सेदारी का समर्थन करता है। कि वे एम. ए. एफ. के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क सी का हिस्सा हैं। इनमें से कुछ फर्म उसी परिसर से काम करती हैं जहाँ से उनके अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी भी काम करते हैं। वे एक ही टेलीफोन [2018] 2 एस. सी. आर. साझा करते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

और फैक्स संख्या। इस प्रकार यह स्थापित किया जाता है कि वे एक ही हैं। नेटवर्क बी और एम. ए. एफ. में भारतीय कंपनियां वास्तव में

आश्वासन, प्रबंधन और संबंधित सेवाएं प्रदान करने वाली समान संस्थाएं और उनके संचालन चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम, 1949 के प्रावधानों को दरकिनार करते प्रतीत होते हैं और

इसके तहत बनाए गए नियम। संस्थान के सदस्य को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ अपनी संबद्धता का खुलासा करने से प्रतिबंधित किया गया है। इस संबंध में, परिषद ने जनवरी, 1995 में आयोजित अपनी 172 वीं बैठक में, फिर नैतिक मानकों पर समिति और लेखा परीक्षकों को अनुचित रूप से हटाना कि अभिव्यक्ति/शब्दों का उपयोग, "संघ में"

....." , के संवाददाता

के साथ. "", एसोसिएट्स ऑफ

.....

लेखन सामग्री, लेटर-हेड, विजिटिंग कार्ड आदि पर

सी. ए. एस. की फर्म के पेशेवर दस्तावेज। , सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949 की पहली अनुसूची के भाग 1 के मद (7) के प्रावधानों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, भले ही नाम का उपयोग किसी भारतीय फर्म या विदेशी फर्म का नाम हो।

(ii) नेटवर्क बी में सीए फर्मों ने बहुराष्ट्रीय इकाई के साथ अपने राजस्व को साझा करते हुए बहुराष्ट्रीय इकाई को सालाना प्रेषण किया है, जिसे उन्होंने केंद्रीय सुविधाओं और शुल्कों के लिए लागत की प्रतिपूर्ति के लिए होने का दावा किया है। हालांकि, कंपनियों

विवरण/गणना प्रदान नहीं की है और क्या लागत में भारत के साथ-साथ विदेशों में उत्पादों और सेवाओं के विपणन/प्रचार और विज्ञापन की लागत शामिल है और कोई अन्य लागत जो चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम, 1949, उसके तहत बनाए गए विनियमों और आचार संहिता के अनुसार अनुमत नहीं है।

नेटवर्क बी की फर्मों ने भी अपने इस दावे के समर्थन में कोई आंकड़ा प्रस्तुत नहीं किया है कि उनके द्वारा बहुराष्ट्रीय कंपनी को प्रेषित धन केवल उपरोक्त मामलों के संबंध में है और यह किसी भी तरह से बहुराष्ट्रीय इकाई के प्रयासों और ब्रांड के उपयोग के माध्यम से उत्पन्न व्यापार के वोट से संबंधित नहीं है। नाम। परिषद के निर्देशों के आधार पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति/समूह द्वारा बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद इस संबंध में पूर्ण और पूर्ण खुलासा नहीं किया गया है।

(iii) नेटवर्क ए में नेटवर्किंग फर्म अपने मानव संसाधन को नेटवर्क में अन्य फर्मों के साथ साझा कर रहे हैं। हालाँकि, यह पता लगाना संभव नहीं है कि क्या स्पष्ट सहायक सुकुमार बनाम हैं।

एस. आई. सी. , इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टरड कंटेंट्स ऑफ इंडिया [आदर्श कुमार गोयल, जे.]

फर्मों के बीच भी बारी-बारी की जा रही है। यह उल्लेख किया जा सकता है कि मुखर सहायकों को एक सदस्य को सौंपा जाता है, जिसका दायित्व उन्हें प्रशिक्षित करना है। इस प्रकार, मुखर सहायकों को किसी अन्य सदस्य द्वारा उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। हालाँकि, इस मुद्दे को हल करने के लिए, विनियमन, 1988 के तहत एक प्रावधान मौजूद है जो स्पष्ट सहायकों को व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने का अवसर प्रदान करने की दृष्टि से स्पष्ट सहायकों को सक्षम बनाता है। उन क्षेत्रों में जहां प्रिंसिपल इसे प्रदान करने की स्थिति में नहीं हो सकता है। कुछ प्रतिबंधों और शर्तों के साथ विनियमों के तहत इस तरह के अनुमोदन की अनुमति है और वही है

प्रशिक्षण शुरू होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर अभिलेखों के लिए संस्थान को भेजना आवश्यक है।

(iv) उप-अनुज्ञप्ति समझौते के अनुसार नेटवर्क बी में सीए फर्मों के संबंध में निर्धारित दायित्व एक स्पष्ट संकेत देते हैं कि सीए फर्म भागीदारों के प्रवेश, विलय जैसे मामलों के लिए एक गैर-सीए फर्म के प्रबंधन और पर्यवेक्षण के अधीन हैं।

परिसंपत्तियों की खरीद आदि।

XXXX

5 सी. 4 अवलोकनः

(i) नेटवर्क सी में सीए फर्मों के पास बहुराष्ट्रीय इकाई के लिए राशि है, जिसे वे प्रदान की गई गतिविधियों और सेवाओं के लिए वास्तविक और आवंटित लागत के कारण होने का दावा करते हैं, हालांकि, फर्मों ने विभाजन/गणना प्रदान नहीं की है और क्या लागत में भारत के साथ-साथ विदेशों में उत्पादों और सेवाओं के विपणन, प्रचार और विज्ञापन के लिए लागत शामिल है और क्या कोई अन्य लागत जो चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम, 1949, उसके तहत बनाए गए विनियमों और आचार संहिता के अनुसार अनुमत नहीं है। नेटवर्क सी की फर्मों ने भी अपने समर्थन में कोई डेटा प्रस्तुत नहीं किया है।

दावा करें कि उनके द्वारा बहुराष्ट्रीय इकाई को प्रेषित धन केवल उपरोक्त मामलों के संबंध में है और यह किसी भी तरह से बहुराष्ट्रीय इकाई के प्रयासों और ब्रांड नाम के उपयोग के माध्यम से उत्पन्न व्यवसाय की मात्रा से संबंधित नहीं है। इसके बावजूद इस संबंध में पूर्ण और पूर्ण खुलासा नहीं किया गया है। परिषद के निर्देशों के आधार पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति/समूह द्वारा बार-बार निर्देश देना।

(ii) नेटवर्क सी की फर्मों ने स्वीकार किया है कि वैश्विक नेटवर्क व्यापक बाजार के अवसरों की पहचान करता है, रणनीतियाँ विकसित करता है, [2018] 2 एस. सी. आर.

नेटवर्क के आंतरिक उत्पादों को मजबूत करता है और बढ़ावा देता है

अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड। भारत में सदस्य फर्मों को अपने विदेशी सहयोगी द्वारा विकसित ब्रांड और विपणन सामग्री तक भी पहुंच प्राप्त होती है। यह अप्रत्यक्ष रूप से पेशेवर काम का अनुरोध करने के बराबर है। और ऐसे माध्यमों से पेशेवर व्यवसाय को सुरक्षित करना जो एक चार्टर्ड एकाउंटेंट के लिए खुले नहीं हैं।

(iii) नेटवर्क सी में फर्मों ने उल्लेख किया है कि वे नेटवर्क में शामिल हो गए हैं और विभिन्न शहरों में विभिन्न फर्मों का गठन किया है।

(iv) नेटवर्क सी फर्मों ने संसाधनों के बंटवारे के लिए एक समझौता किया है। मानव संसाधनों के बंटवारे में शामिल हैं - उनके द्वारा समिति के सदस्यों को दिए गए एक बयान में, जैसा कि उनके तत्कालीन भागीदारों में से एक ने पुष्टि की थी, स्पष्ट सहायक भी।

यह उल्लेख किया जा सकता है कि मुखर सहायकों को एक सदस्य को सौंपा जाता है, जिसका दायित्व उन्हें प्रशिक्षित करना है। इस प्रकार व्यक्त सहायकों को किसी अन्य सदस्य द्वारा उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। हालाँकि, इस मुद्दे को हल करने के लिए, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 54 के तहत एक प्रावधान मौजूद है, जिसमें स्पष्ट सहायकों को व्यावहारिक लाभ प्राप्त करने का अवसर प्रदान करने की दृष्टि से स्पष्ट सहायकों का समर्थन किया गया है।

उन क्षेत्रों में अनुभव जहां प्राचार्य इसे प्रदान करने की स्थिति में नहीं हो सकता है। इस तरह के अनुमोदन की अनुमति कुछ प्रतिबंधों और शर्तों के साथ विनियमों के तहत दी गई है और इसे संस्थान के भीतर रिकॉर्ड के लिए भेजे जाने की आवश्यकता है। सेकंडमेंट पर प्रशिक्षण शुरू होने की तारीख से तीस दिन।

(v) नेटवर्क सी में फर्म और इसके सभी कर्मचारी अपने ईमेल में डोमेन नाम के हिस्से के रूप में एमएएफ के नाम का उपयोग कर रहे हैं।

आई. डी., जो इन फर्मों के भागीदारों के साथ-साथ सी. ए. कर्मचारियों के विजिटिंग कार्ड में प्रदर्शित होते हैं। यह स्पष्ट रूप से समर्थन करता है नेटवर्क सी में इन फर्मों द्वारा कहा गया है कि वे एम. ए. एफ. के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क सी का हिस्सा हैं। इनमें से कुछ कंपनियां काम करती हैं।

उसी परिसर से जहाँ से उनका अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी भी काम करता है। वे एक ही टेलीफोन और फैक्स नंबर साझा करते हैं। इस प्रकार यह स्थापित किया जाता है कि वे एक ही हैं। भारतीय कंपनियाँ

और एम. ए. एफ. वास्तव में वही संस्थाएं हैं जो आश्वासन/प्रबंधन और संबंधित सेवाएं प्रदान करती हैं और इस तरह उनके संचालन चार्टर्ड एकाउंटेंट सुकुमार बनाम के प्रावधानों को दरकिनार करते प्रतीत होते हैं।

एस. आई. सी. , इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टरड कंटेंट्स ऑफ इंडिया [आदर्श कुमार गोएल, जे.]

अंतर्राष्ट्रीय इकाई। इस संबंध में परिषद ने अपनी 172 वीं बैठक में जनवरी, 1995 में आयोजित, नैतिक मानकों और अनुचित निष्कासन पर तत्कालीन समिति की सिफारिशों से सहमत होते हुए

लेखा परीक्षकों की अभिव्यक्ति/शब्दों का उपयोग, "इन एसोसिएशन विद"। के सहयोगी.. " , लेखन सामग्री, पत्र-शीर्षक, विजिटिंग कार्ड और सीए की फर्म के पेशेवर दस्तावेजों आदि पर संवाददाताओं की अनुमति नहीं थी। सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949 की पहली अनुसूची के भाग 1 के मद (7) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया कि इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, भले ही उपयोग किया जाने वाला नाम किसी भारतीय फर्म का नाम हो या विदेशी फर्म का।

किसी भी और उपलब्धता, हानि, क्षति, लागत, कानूनी लागत और किसी भी प्रकृति के अन्य खर्चों के खिलाफ विश्वास, या बिजनेस ट्रस्ट किसी तीसरे पक्ष द्वारा बिजनेस ट्रस्ट के खिलाफ किसी भी विवाद से उत्पन्न होता है।

(vii) नाम के उपयोग के लिए लाइसेंस देने वाले न्यास के साथ समझौते में परिभाषित सेवा, उन सेवाओं को निर्धारित करती है जो

उक्त न्यास द्वारा कवर किया जाएगा और सीए फर्म द्वारा प्रदान किया जाएगा। इसमें लेखा परीक्षा, आश्वासन के साथ-साथ कर सलाहकार सेवाएं भी शामिल हैं। (viii) नेटवर्क सी में फर्म द्वारा प्रस्तुत लेटरहेड और विजिटिंग कार्ड में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि यह एक फर्म है

चार्टर्ड एकाउंटेंट।

5 डी. 6 अवलोकनः (i) नेटवर्क डी में फर्मों के पास प्रबंधन सेवाएं हैं।

समझौता, तकनीकी सेवा समझौते, विनियम और अन्य संस्थाओं के साथ नाम लाइसेंस समझौते, जिनकी प्रतियां फर्मों द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई हैं।

(ii) नेटवर्क डी में फर्म और उनके सभी कर्मचारी अपने ईमेल आईडी में डोमेन नाम के रूप में बहुराष्ट्रीय इकाई के नाम का उपयोग कर रहे हैं, जो इन फर्मों के भागीदारों के साथ-साथ उनके सीए कर्मचारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले विजिटिंग कार्ड में प्रदर्शित होता है। यह स्पष्ट रूप से इन फर्मों द्वारा यह कहने का समर्थन करता है कि वे एम. ए. एफ. के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क डी का हिस्सा हैं। इनमें से कुछ फर्में [2018] 2 एस. सी. आर.

वे उसी परिसर से काम करते हैं जहाँ से उनके अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी भी काम करते हैं। वे एक ही टेलीफोन और फैक्स नंबर साझा करते हैं। इस प्रकार यह दर्शाता है कि वे एक ही हैं। भारतीय फर्म और एम. ए. एफ. वास्तव में वही संस्थाएं हैं जो प्रदान करती हैं। आश्वासन, प्रबंधन और संबंधित सेवाएं और इस तरह के उनके संचालन चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम, 1949 और उसके तहत बनाए गए विनियमों के प्रावधानों को दरकिनार करते प्रतीत होते हैं। संस्थान के सदस्य को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ अपनी संबद्धता का खुलासा करने से प्रतिबंधित किया गया है। इस संबंध में, परिषद ने जनवरी, 1995 में आयोजित अपनी 172 वीं बैठक में, नैतिक मानकों और लेखा परीक्षकों के अनुचित निष्कासन पर तत्कालीन समिति की सिफारिश पर सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि अभिव्यक्ति/शब्दों का उपयोग, "

" , " के सहयोगी

. " , लेखन सामग्री पर ". आदि" के संवाददाता,

चार्टर्ड को पहली अनुसूची के भाग I के मद (7) के प्रावधानों को देखते हुए सीएएस की फर्म के लेटर-हेड, विजिटिंग कार्ड और पेशेवर दस्तावेजों की अनुमति नहीं थी। लेखाकार अधिनियम, 1949 ने निर्णय लिया कि इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, भले ही उपयोग किया जाने वाला नाम किसी भारतीय फर्म का नाम हो या किसी विदेशी फर्म का।

(iii) नेटवर्क डी की कंपनियों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

मानव संसाधन के बंटवारे के लिए; हालाँकि, यह पता लगाना संभव नहीं है कि क्या स्पष्ट सहायकों को एक

सदस्य, जिनका दायित्व उन्हें प्रशिक्षित करना है। इस प्रकार, मुखर सहायकों को किसी अन्य सदस्य द्वारा उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। हालाँकि, इस मुद्दे को हल करने के लिए/चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 54 के तहत एक प्रावधान मौजूद है जो विशिष्ट सहायकों को उन क्षेत्रों में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने का अवसर प्रदान करने की दृष्टि से सहायक सहायकों को सक्षम बनाता है जहां प्राचार्य इसे प्रदान करने की स्थिति में नहीं हो सकता है। कुछ प्रतिबंधों और शर्तों के साथ विनियमों के तहत इस तरह के अनुमोदन की अनुमति है और इसकी आवश्यकता है

माध्यमिक शिक्षा पर प्रशिक्षण शुरू होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर अभिलेख के लिए संस्थान को भेजा जाता है।

(iv) नेटवर्क डी में नेटवर्क फर्मों में से एक, हालांकि अभी तक बहुराष्ट्रीय इकाई के साथ समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया है, लेकिन पहले से ही बहुराष्ट्रीय इकाई के नेटवर्क के हिस्से के रूप में काम कर रही है और दायित्वों का पालन करें।

सुकुमार वी। एस. आई. सी. , इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टरड कंटेंट्स ऑफ इंडिया [आदर्श कुमार गोयल, जे.]

(v) नेटवर्क डी में फर्मों द्वारा बहुराष्ट्रीय इकाई को भेजे गए धन की राशि (एक वर्ष में <ID1 मिलियन से अधिक) का खुलासा किया गया है। हालांकि, नेटवर्क डी में फर्मों ने विभाजन गणना प्रदान नहीं की है और क्या लागत शामिल है

बहुराष्ट्रीय इकाई और ब्रांड नाम के उपयोग के माध्यम से। बार-बार कहने के बावजूद इस संबंध में पूर्ण और पूर्ण खुलासा नहीं किया गया है। परिषद के निर्देशों के आधार पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति/समूह द्वारा निर्देश।

XXX

6. निष्कर्ष

फर्म और उनके अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी/नेटवर्क के साथ-साथ उसमें संदर्भित अनुलग्नक, नेटवर्किंग समझौता, आंतरिक नियम, सेवा समझौते, अंतर्राष्ट्रीय संबद्ध के क़ानून सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949 के उल्लंघन के बारे में निर्णायक निष्कर्ष निकालना संभव नहीं था, जिसमें गैर-सदस्यों के साथ शुल्क या लाभ साझा करना, गैर-सदस्यों के लाभ साझा करना आदि शामिल थे।

सदस्य, चार्टर्ड [2018] 2 एस. सी. आर. के लिए खुले साधनों के माध्यम से व्यवसाय को सुरक्षित करना।

लेखाकार, अनुरोध, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रचार आदि। इसके लिए संबंधित प्रावधानों के तहत उचित जांच की आवश्यकता होगी -

धारा 21,22 और उसके तहत बनाई गई अनुसूचियाँ।

6.3 इनमें से अधिकांश नेटवर्क भारत के बाहर बनाए/स्थापित किए गए हैं और विभिन्न नैतिक और नियामक दिशानिर्देशों के तहत काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबद्धता रखने वाली भारतीय सी. ए. फर्म आई. सी. ए. आई. के नियामक अधिकार क्षेत्र के अधीन हैं और उन्हें भारत में चार्टर्ड एकाउंटेंटों के लिए लागू आचार संहिता का पालन करना आवश्यक है। हालांकि, भारतीय सीए फर्मों के साथ घनिष्ठ सहयोग में काम करने वाली अन्य संस्थाओं की द्विभाजन के कारण, अक्सर आम ब्रांड नाम/लोगो के उपयोग की अनुमति देना, अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों आदि का लाभ उठाना, अन्य भारतीय सीए फर्मों के साथ समान अवसर को दूषित कर रहा है।

6.4 इनमें से अधिकांश फर्मों के पास अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड नाम का उपयोग करने के लिए एक नाम लाइसेंस समझौता है। ऐसे समझौते की शर्तों में से एक

यह है कि सामान्य व्यावसायिक मानकों आदि के अलावा, भारतीय सहयोगी अपनी नीतियों आदि को वैश्विक नीतियों के साथ सामंजस्य स्थापित करेंगे।

नेटवर्क से। इस तरह, भागीदारों का चयन और नियुक्ति, परिसंपत्तियों का अधिग्रहण, पूंजी में निवेश आदि जैसे मामलों को ऐसे समझौतों के माध्यम से विनियमित किया जाता है और कभी-कभी प्रतिनिधि मतदान भी स्वयं सीए फर्मों के बजाय एक संरेखित निजी लिमिटेड कंपनी द्वारा किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप, भारतीय सीए फर्मों का नियंत्रण है

प्रभावी रूप से गैर-सदस्यों/कंपनियों विदेशी संस्थाओं के हाथों में रखा गया। स्वतंत्रता के दृष्टिकोण से इस तरह की प्रथा की वांछनीयता की जांच चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम, 1949 और इसकी धारा 21 और 22 की आचार संहिता और अनुसूचियों के आलोक में की जानी चाहिए। 6.5 संस्थान द्वारा अनुमोदित नामों वाली कुछ फर्मों के संबंध में

उदा. " XYZ & Co., पटना ", उक्त फर्म द्वारा भेजे गए साझेदारी विलेखों से पता चला कि फर्म का नाम" XYZ & Co., पटना "के रूप में दिया गया है। और "XYZ & Co. पटना" के रूप में नहीं जो संस्थान द्वारा पंजीकृत नाम है। इसका मतलब है कि फर्म ने संस्थान को "एक्सवाईजेड एंड कंपनी" नाम से एक फर्म का साझेदारी विलेख प्रस्तुत किया है, जबकि माना जाता है कि साझेदारी विलेख "एक्सवाईजेड एंड कंपनी, पटना" का होना चाहिए। ऐसी फर्मों को पत्र लिखे गए थे जिसमें उनसे उचित साझेदारी विलेख प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। पहले ने जवाब दिया है कि यह एक अनजाने में सुकुमार v था।

एस. आई. सी. , इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टरड कंटेंट्स ऑफ इंडिया [आदर्श कुमार गोयल, जे.]

उनकी ओर से और संस्थान की ओर से गलती जिसने प्रत्यय के रूप में शहर के नाम के साथ एक व्यापार/फर्म के नाम को मंजूरी दी थी।

6.7 यह ध्यान दिया जाता है कि सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949 की दूसरी अनुसूची के भाग I की मद (1), जो निम्नलिखित से संबंधित है - व्यवहार में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के संबंध में पेशेवर कदाचार का उल्लेख है कि व्यवहार में एक चार्टर्ड एकाउंटेंट को पेशेवर कदाचार का दोषी माना जाएगा, यदि वह अपने मुवक्किल के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को अपने मुवक्किल की सहमति के बिना या किसी भी कानून द्वारा आवश्यक जानकारी के बिना अपने पेशेवर जुड़ाव के दौरान प्राप्त जानकारी का खुलासा करता है।

वर्तमान में लागू होने के लिए। लेखा परीक्षक, मुवक्किल, जिसे वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था, की सहमति के बिना किसी अनधिकृत फर्म द्वारा लेखा परीक्षा आयोजित करने की अनुमति देकर, लेखा परीक्षा से संबंधित सभी जानकारी को उक्त फर्म को दिए जाने की अनुमति दे सकते हैं, इस प्रकार उपरोक्त मद का उल्लंघन हो सकता है, जिसके लिए दोनों फर्में जिन्हें नियुक्त किया गया था और जिन्होंने लेखा परीक्षा की थी, आचार संहिता का उल्लंघन हो सकता है।

6.8 संस्थान के पत्र के जवाब में, कुछ फर्मों ने वित्तीय आंकड़े, लाभ साझाकरण अनुपात, पूंजी योगदान आदि जैसे कुछ हिस्सों को छिपाने या समाप्त करने के बाद विवरण/दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। संस्थान ने इन सीए फर्मों [2018] 2 एस. सी. आर. को कई पत्र भेजे हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विशेष रूप से जानकारी प्रदान करने के लिए, समझौतों की प्रतियां /

पूर्ण अनुलग्नक, पूर्ण साझेदारी विलेख के साथ अपने अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों/नेटवर्क के साथ उनके अनुबंध उसमें उल्लिखित अनुलग्नक और अनुसूचियाँ, निर्धारण आदेश और/या कर विवरणी, वित्तीय विवरण अर्थात आय और व्यय विवरण, तुलनपत्र या कार्य विवरण

कर लेखापरीक्षा विवरण सहित। जैसा कि पहले कहा गया है, अधिकांश कंपनियों ने समझौतों/अनुबंधों, साझेदारी की प्रतियां जमा कर दी हैं

विलेख, निर्धारण आदेश या आय-कर विवरणी लेकिन लगभग 27 प्रतिशत फर्मों ने जानकारी प्रस्तुत नहीं की है और महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान नहीं की है। यह भी कहा जा सकता है कि कुछ फर्मों ने संस्थान के निर्देशों का पालन करने के बजाय, आय-कर विवरणी की प्रतियां मांगने के पीछे के तर्क/तर्क पर सवाल उठाया है, जो उनके अनुसार व्यावसायिक रूप से संवेदनशील/गोपनीय हैं। एक नेटवर्क से संबंधित फर्मों के एक समूह ने दो कानूनी राय का हवाला दिया है कि वे

इस संबंध में प्राप्त किया है और बिना मास्क वाले विवरण प्रस्तुत करने से इनकार कर दिया है।

हालांकि, उन्होंने व्यक्तिगत सुनवाई की मांग की है। जैसा कि उल्लेख किया गया है।

इससे पहले, समूह ने इस मामले पर विचार किया और नोट किया कि द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसरण में दस्तावेज बुलाए गए हैं

परिषद और दस्तावेजों को बुलाने का विस्तृत कारण भी फर्मों को दिया गया है। इसलिए, समूह ने महसूस किया कि परिषद के निर्देशों को दरकिनार करना और कुछ फर्मों को कोई रियायत देना उसकी शक्तियों के भीतर नहीं होगा।

6.9 सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949 की धारा 2 (2) 'व्यवहार में होना' शब्द को परिभाषित करती है। उपरोक्त धारा 2 (2) के अनुसार, संस्थान की परिषद ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें अनुमति दी गई है - प्रबंधन परामर्श और अन्य सेवाओं की पूरी श्रृंखला प्रदान करने के लिए व्यवहार में चार्टर्ड एकाउंटेंट। सदस्यों ने

संस्थान एक आचार संहिता द्वारा शासित होता है जो संस्थान के प्रत्येक सदस्य के लिए अनिवार्य है। भारत में बहुराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं भी प्रबंधन परामर्श (वित्तीय सेवाओं, मूल्यांकन, लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षा सहित) की प्रकृति की हैं।

आश्वासन सेवाएँ आदि) और अन्य संबंधित सेवाएँ जो निजी लिमिटेड कंपनियों के माध्यम से की जाती हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ज्ञात लेखा फर्म का उपयोग करके की जाती हैं। नाम। चूँकि ये संस्थाएं एस. सुकुमार बनाम के रूप में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को नियुक्त करती हैं।

एस. आई. सी. , इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया [आदर्श कुमार गोयल, जे.]

विभिन्न जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए गैर-चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के साथ-साथ एक भ्रामक धारणा बनाई जाती है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं वास्तव में एक बहुराष्ट्रीय लेखा फर्म द्वारा प्रदान की जाती हैं। वास्तव में, ऐसा नहीं है क्योंकि ऐसी सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी न तो आईसीएआई के साथ पंजीकृत है और न ही किसी नैतिक संहिता या नियामक ढांचे द्वारा शासित है।

26. तदनुसार, इस आशय की सिफारिशें की गईं कि परिषद को उन फर्मों के खिलाफ कार्रवाई पर विचार करना चाहिए जिन्होंने पूरी जानकारी नहीं दी थी; उन फर्मों के खिलाफ कार्रवाई पर विचार करना चाहिए जो भारत में बहुराष्ट्रीय इकाई/परामर्श इकाई के साथ राजस्व साझा कर रहे हैं जिसमें सीए की नैतिकता के खिलाफ विपणन, प्रचार और विज्ञापन की लागत शामिल हो सकती है; उन फर्मों के खिलाफ कार्रवाई पर विचार किया जाना चाहिए जिन्होंने पूरी जानकारी नहीं दी थी।

सीए फर्मों के खिलाफ प्रतिबंध के बावजूद बहुराष्ट्रीय संस्थाओं से वित्तीय अनुदान प्राप्त किया। एक सदस्य को किसी भी हिस्से को स्वीकार करने की अनुमति नहीं है,

गैर-सदस्य से कमीशन या दलाली जब तक कि ऐसा गैर-सदस्य निर्धारित योग्यताओं के साथ किसी पेशेवर निकाय का सदस्य न हो। आगे की सिफारिश यह है कि अन्य फर्मों को अपना काम वितरित करने वाली ऑडिट फर्मों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उन्हें ग्राहक की सहमति के बिना सभी गोपनीय जानकारी तक पहुंच की अनुमति दी जाए; सीए फर्मों से नेटवर्किंग व्यवस्था या शुल्क साझा करने के कारण किए गए और प्राप्त किए गए प्रेषण के बारे में आवश्यक डेटा बनाए रखने की आवश्यकता है; कार्रवाई पर विचार करें।

कंपनियों को भुगतान या रेफरल शुल्क की पेशकश के खिलाफ; यह किया जाना चाहिए

किसी भी विदेशी संस्था के साथ किसी भी प्रकार की संबद्धता/व्यवस्था करने वाली सभी फर्मों के लिए संस्थान को हर साल अपनी अंतर्राष्ट्रीय संबद्धता/व्यवस्था का खुलासा करना अनिवार्य है; परिषद को इसके खिलाफ कार्रवाई पर विचार करना चाहिए।

अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के नाम और लोगो का उपयोग करने वाली फर्मों; ऐसे माध्यमों से पेशेवर व्यवसाय को सुरक्षित करने के लिए कार्रवाई पर भी विचार किया जाना चाहिए जो भारत में सीए के लिए खुले नहीं हैं। परिषद को यह सार्वजनिक बयान भी जारी करना चाहिए कि परिषद की विशिष्ट मंजूरी के बिना, सीए अधिनियम की धारा 29 (2) के तहत एक अधिसूचना द्वारा, कोई भी एमएएफ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से काम नहीं कर सकता है

भारत में किसी भी भारतीय इकाई/सीए की फर्म के साथ किसी भी समझौते या व्यवस्था के माध्यम से। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फर्म या संस्था को जनता के सामने यह कहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए कि वे अपने नेटवर्क के हिस्से के रूप में भारत में एम. ए. एफ. के रूप में काम कर रहे हैं। किसी भी भारतीय सीए फर्म को उनके किसी भी हिस्से का भुगतान करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

आई. सी. ए. आई. के सदस्य या उनके स्वामित्व वाली फर्म के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को विशिष्ट व्यावसायिक शुल्क के भुगतान को छोड़कर लागत या प्रतिशत के रूप में लाभ या शुल्क या अन्य रसीदें। परिषद निगमित कार्य मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य प्रासंगिक [2018] 2 एस. सी. आर. से अनुरोध कर सकती है।

मंत्रालयों/विभागों को उचित कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आई. सी. ए. आई. में पंजीकृत लेखा फर्मों की सेवाओं को शामिल करने के लिए सिफारिशों को लागू किया जा सके। केवल आई. सी. ए. आई. में पंजीकृत सी. ए. और सी. ए. फर्मों को लेखा परीक्षा और आश्वासन सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी जानी चाहिए। भारत में जहां भी एम. ए. एफ. प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं, उन्हें आई. सी. ए. आई. और आर. बी. आई. से 'कोई आपत्ति नहीं' और अनुमति के बिना किसी भी लेखा परीक्षा और आश्वासन सेवाओं में शामिल नहीं होना चाहिए। निर्देश जारी किए जा सकते हैं कि कोई भी संयुक्त उद्यम समझौता, समझौता ज्ञापन, विदेशी सहयोग समझौता, हितधारक समझौता, निजी इक्विटी फंड की शर्त, उद्यम पूंजी फंड की शर्त या किसी विशिष्ट चार्टर्ड एकाउंटेंट या सीए फर्म या किसी अन्य संस्था की नियुक्ति के लिए निर्धारित साइड लेटर अवैध हैं और सार्वजनिक हित के खिलाफ हैं। आई. सी. ए. आई. का रुख

देश की अर्थव्यवस्था में पेशेवरों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। भारत की अर्थव्यवस्था ने 1992 में दो बड़े प्रतिभूति घोटाले देखे थे और 2001. श्री नरेश चंद्र की अध्यक्षता में 'कॉर्पोरेट ऑडिट एंड गवर्नेंस' पर उच्च स्तरीय समिति सहित शेयर बाजार घोटालों की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिश पर सीए अधिनियम में संशोधन किया गया था, जिसने लेखा परीक्षकों के लिए लेखा परीक्षक-कंपनी संबंध और अनुशासनात्मक तंत्र की जांच की थी। निदेशक (अनुशासन) की अध्यक्षता में एक अनुशासनात्मक निदेशालय स्थापित करने के लिए संस्थान की परिषद द्वारा संशोधन का प्रस्ताव किया गया था।

28. इस शिकायत के जवाब में कि भारत में पीडब्ल्यूसीपीएल और उनकी नेटवर्क ऑडिट फर्मों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, आईसीएआई ने प्रस्तुत किया कि इसके अनुशासनात्मक निदेशालय ने पहले ही इसका संज्ञान ले लिया था

टाइम्स ऑफ इंडिया में 17 जनवरी, 2012 के लेख "सनड्री इनकम कुशन पीडब्ल्यूसी इंडिया" में दी गई जानकारी। 9 मार्च, 2012 का पत्र पीडब्ल्यूसी, नई दिल्ली, चेन्नई, बैंगलोर, पीडब्ल्यूसी, कोलकाता, एलएल, कोलकाता को लिखा गया था। आर. बी. आई. को भी पत्र लिखा गया था। पीडब्ल्यूसी फर्मों का रुख यह था कि समाचार में उनकी फर्मों का कोई संदर्भ नहीं दिया गया था और किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं थी। पीडब्ल्यूसी, कोलकाता ने प्रस्तुत किया कि वह दुनिया भर की फर्मों के पीडब्ल्यूसी नेटवर्क ('पीडब्ल्यूसी नेटवर्क') का सदस्य था। सभी सदस्यों के गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने के लिए, Rs.65 करोड़ एस. सुकुमार बनाम का अनुदान।

एस. आई. सी. , इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया [आदर्श कुमार गोयल, जे.]

उन्हें प्राइसवाटरहाउस कूपर्स सर्विसेज बीवी द्वारा इस दौरान दिया गया था 31 मार्च, 2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष एक पूर्ण, गैर-वापसी योग्य अनुदान के रूप में। यही उनकी वार्षिक आय में "सुंदर आय" में शामिल किया गया था।

खाते। एलएल, कोलकाता का रुख यह था कि यह दुनिया भर में पीडब्ल्यूसी नेटवर्क ऑफ फर्म्स का सदस्य था। इसे एक करोड़ रुपये का अनुदान मिला। पीडब्ल्यूसी सर्विसेज बीवी से गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने के लिए 28.97 करोड़ 31 मार्च, 2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष एक पूर्ण, गैर-वापसी योग्य अनुदान के रूप में। अनुशासन निदेशालय ने आर. बी. आई. को एक अनुस्मारक भेजा और भेजा

आयकर आयुक्त, कोलकाता और संयुक्त सचिव (राजस्व), वित्त मंत्रालय को एक पत्र। आयकर उपायुक्त, कोलकाता ने कहा कि हस्तांतरण मूल्य निर्धारण के मुद्दे पर जांच की कार्यवाही निर्धारण वर्ष 2010-2011 और 2011-2012 के लिए लंबित थी।

पीडब्ल्यूसीपीएल का सम्मान। पीडब्ल्यूसी, बैंगलोर की विफलता के संबंध में

'सत्यम' के घोटाले का पता लगाते हुए कहा गया कि अमेरिकी नियामकों यानी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एस. ई. सी.) और पी. सी. ए. ओ. बी. ने कार्रवाई की थी लेकिन भारत में कार्यवाही लंबी हो रही थी। जहां तक संबंध है।

जी. टी. बी. के उच्च स्तर के एन. पी. ए. को इंगित करने में एल. एल. की विफलता, यह प्रस्तुत किया गया कि पी. डब्ल्यू. सी. पी. एल. के खिलाफ कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं की गई थी। वैसा नहीं है

पंजीकृत और संस्थान 2006 और 2007 के नियमों में संशोधित सीए अधिनियम के तहत उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सका। एल. एल. के सदस्यों, श्री एस. गोपालकृष्णन, श्री पी. रामकृष्णन और श्री मनीष अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई की गई। श्री केर्सी एच. वाछा और श्री अमल गांगुली के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। 2002-2003 में मेसर्स के श्री पार्थ घोष और श्री डी. वी. पी. राव के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। पीडब्ल्यूसी। पीडब्ल्यूसी बैंगलोर सत्यम के लेखा परीक्षक थे जिनके लिए सीए एस. गोपालकृष्णन (1.4.2000 से 31.3.2007 की अवधि के लिए), सीए एस. तल्लूरी (1.4.2007 से 30.9.2008 की अवधि के लिए), सीए पुलवर्थी शिव प्रसाद (1.4.2001 से 31.3.2005 की अवधि के लिए), सीए चिंतापटला रवींद्रनाथ (1.4.2005 से 30.9.2008 की अवधि के लिए) के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। सत्यम के तत्कालीन सी. एफ. ओ. वी. श्रीनिवासू, सत्यम के आंतरिक लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ के तत्कालीन प्रमुख वी. एस. प्रभाकर गुप्ता के खिलाफ भी कार्रवाई की गई थी। एस. एफ. आई. ओ. के संयुक्त निदेशक ने डी. एस. क्यू. सॉफ्टवेयर्स लिमिटेड के संबंध में मेसर्स के सी. ए. नरेश कुमार थराड के खिलाफ 3 मार्च, 2009 को शिकायत दर्ज कराई। एन. के. थराड एंड कंपनी, चार्टर्ड

लेखाकार, कोलकाता। यह पता चला कि कंपनी ने धोखाधड़ी से विभिन्न संस्थाओं को शेयरों का तरजीही आवंटन किया था।

प्रत्यर्थी का रुख-फर्म

29. अपनी लिखित प्रस्तुतियों में, प्रत्यर्थी संख्या 5 एम/एस। डेलॉयट हास्किन्स एंड सेल्स ने प्रस्तुत किया कि इसके खिलाफ कोई आरोप नहीं है

एसएलपी। प्रतिवादी संख्या 5 के सभी भागीदार भारतीय थे और फर्म [2018] 2 एस. सी. आर.

आई. सी. ए. आई. में भी पंजीकृत था। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया था, जिसने 31 जनवरी, 2017 को अपनी रिपोर्ट दी थी, जिसमें कहा गया था कि बड़ी छह कंपनियां (एमएएफ) काम नहीं कर रही थीं

सीधे। उनके नेटवर्क भागीदार लेखा परीक्षा सेवाएं प्रदान कर रहे थे। भारतीय नेटवर्क फर्म मानव संसाधन और अन्य बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी लागत की सामान्य वैश्विक लागतों को साझा करने के लिए अपने मूल संगठन को वैश्विक नेटवर्क शुल्क का भुगतान करती हैं। यह सभी क्षेत्राधिकारों में एक मानक प्रथा है। यह एम. ए. एफ. को वैश्विक मूल द्वारा नियंत्रण के अधीन नहीं बनाता है। एम. ए. एफ. को बहुराष्ट्रीय संस्थाओं के रूप में नहीं माना जा सकता है

स्वामित्व या प्रबंधन के माध्यम से कोई विदेशी नियंत्रण नहीं। नेटवर्क भागीदार भारतीय नागरिकों द्वारा संचालित, नियंत्रित और प्रबंधित किए जाते हैं। यह प्रस्तुत किया गया था कि रिट याचिका बनाए रखने योग्य नहीं थी।

30. 3 जुलाई, 2017 के पत्र का भी उल्लेख किया गया है।

विशेषज्ञ समूह के निष्कर्षों को शामिल करने वाले उक्त विशेषज्ञ समूह के संदर्भ में प्रधानमंत्री कार्यालय से कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव को संबोधित किया गयाः

" क) भारत में पालन किए जाने वाले लेखांकन और लेखापरीक्षा मानकों और प्रथाओं को अंतर्राष्ट्रीय मानकों और प्रथाओं के साथ अनुकूलित किया जाना चाहिए।

आवश्यक है।

ख) भारत की अधिकांश लेखापरीक्षा फर्मों के छोटे आकार को वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने में बाधा होने के कारण, भारतीय लेखापरीक्षा फर्मों के विलय और नेटवर्किंग के माध्यम से समेकन को नीतिगत उपायों के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा एक बहु-अनुशासनात्मक कार्य बनने के साथ,

(ग)

अन्य प्रासंगिक पेशेवरों की भागीदारी के साथ बहु-अनुशासनात्मक लेखा परीक्षा फर्मों का गठन

व्यवसायों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

घ) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि तकनीकी मूल्यांकन करने वाले गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड की सिफारिशें

भारत की लेखा परीक्षा फर्मों को लागू किया जाता है।

ङ) यदि और जब लेखापरीक्षा और आश्वासन वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए खुले हैं, तो पारस्परिकता के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए और भारतीय लेखापरीक्षा फर्मों के हितों का पालन किया जाना चाहिए।

उचित ध्यान दिया जाए।

31. पीडब्ल्यूसी नेटवर्क (उत्तरदाता 6 से 11) का रुख यह है कि पीडब्ल्यूसी या पीडब्ल्यू एस. सुकुमार बनाम के कानूनों के तहत पंजीकृत पीडब्ल्यूसीआईएल के स्वामित्व वाला ब्रांड है।

एस. आई. सी. , इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टरड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया [आदर्श कुमार गोयल, जे.]

इंग्लैंड गारंटी द्वारा सीमित है। पीडब्ल्यूसीआईएल एक समन्वय कंपनी के रूप में कार्य करता है

सदस्यों (177 देशों में) को लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। पीडब्ल्यूसी सर्विसेज बीवी (सर्विसेज बीवी) को सेवाओं के वैश्विक मानकों को संचालित करने के लिए नीदरलैंड में शामिल किया गया है। सर्विसेज बीवी बेहतर वैश्विक सामान्य मानक विकसित करने के लिए दुनिया भर में विभिन्न फर्मों के प्रयासों का समन्वय करता है। सेवा बी. वी. ग्राहक से संबंधित कोई काम नहीं करता है लेकिन मानकों का विकास करता है। यह नेटवर्क संस्थाओं से उनके राजस्व का एक प्रतिशत शुल्क लेकर धन एकत्र करता है जिसका उपयोग मानकों को विकसित करने के लिए खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाता है। फर्म सेवा समझौतों पर नेटवर्क संस्थाओं द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। सेवा बीवी नंबर पर काम करता है लाभ बिना हानि के आधार पर। नेटवर्क शुल्क का भुगतान भारतीय सदस्य संस्थाओं सहित सभी सदस्य संस्थाओं द्वारा किया जाता है। नेटवर्क ने भारतीय नेटवर्क संस्थाओं के मानकों और क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की, जिनके लिए गैर-वापसी योग्य अनुदान प्रदान किए गए थे। अनुदान निवेश की प्रकृति में नहीं हैं। ये चालू खाते के लेन-देन हैं न कि पूँजी के।

खाता लेनदेन। वित्त वर्ष 2009-10 के लिए, अनुदान पर कर लगाया गया था लेकिन सेवा बी. वी. को भुगतान किए गए नेटवर्क शुल्क को कटौती के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था। वित्त वर्ष के लिए

2010-11 29 सितंबर, 2016 को मूल्यांकन आदेश पारित किया गया है, जिसके खिलाफ अपील लंबित थी।

32. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भारत के बाहर से प्राप्त धन के संबंध में जानकारी मांगी। मार्च और अगस्त, 2016 में ईडी ने समन जारी किया। जुलाई, 2017 में, ईडी ने फेमा की धारा 37 के तहत फिर से समन जारी कर आंतरिक/बाहरी प्रेषण का विवरण मांगा। अगस्त, 2017 में, मुख्य वित्तीय अधिकारी (सी. एफ. ओ.) को ईडी द्वारा प्रेषण के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए समन जारी किया गया था।

33. कंपनी पंजीयक ने कारण बताने के लिए नोटिस जारी किए कि निदेशकों और कंपनी के खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं चलाया जाना चाहिए

जनवरी, 2013 में पीडब्ल्यूसीपीएल के सचिव। कंपनी लॉ बोर्ड ने अनुमति दी [2018] 2 एस. सी. आर.

रुपये 8,31,000/- की संयोजन राशि के भुगतान पर अपराधों का चक्रवृद्धि।

34. लेखा परीक्षा सेवाओं का संचालन पीडब्ल्यूसी से संबंधित फर्मों द्वारा किया जा रहा है निम्नानुसार समूहः

i) प्राइस वाटरहाउस [एफआरएन-310002 ई]-66 भारतीय भागीदार (उत्तरदाता संख्या 7)

ii) लवलॉक एंड लुईस [एफआरएन-301056 ई]-66 भारतीय भागीदार (उत्तरदाता संख्या 8)

iii) प्राइस वाटरहाउस एंड कंपनी [एफआरएन-050032 एस]-19 भारतीय भागीदार (उत्तरदाता संख्या 9)

iv) प्राइस वाटरहाउस, बैंगलोर [एफआरएन-007568 एस]-18 भारतीय भागीदार (उत्तरदाता No.10)

v) दलाल और शाह एलएलपी [एफआरएन-102021 डब्ल्यू/डब्ल्यू100110]-16 भारतीय भागीदार (उत्तरदाता NO.11)

35. अन्य एलएलपी हैं जो पीडब्ल्यूसी नेटवर्क के सदस्य हैं। भारत में। सभी भागीदार राष्ट्रीयता से भारतीय हैं और आईसीएआई के साथ पंजीकृत हैं। निदेशक भागीदार नहीं होते हैं। पीडब्ल्यूसी नेटवर्क की भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट सदस्य फर्म स्वतंत्र संस्थाओं के रूप में काम करती हैं।

36. आई. सी. ए. आई. के 27 सितंबर, 2011 के दिशा-निर्देश इन पर लागू होते हैं - नेटवर्क यदि नेटवर्क के पास सामान्य स्वामित्व, नियंत्रण या प्रबंधन, सामान्य गुणवत्ता नियंत्रण नीतियां और प्रक्रियाएं, सामान्य व्यावसायिक रणनीति, एक सामान्य ब्रांड नाम का उपयोग या पेशेवर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। संसाधन।

37. आई. सी. ए. आई. की विशेषज्ञ समूह रिपोर्ट ने सिफारिश की है कि निम्नलिखितः

" कोई व्यक्ति या संस्था और विशेष रूप से चार्टर्ड एकाउंटेंट नहीं

जनता को बता सकते हैं कि वे भारत में काम कर रहे हैं या

उनकी ओर से या उनके व्यापार के नाम पर और किसी अन्य तरीके से

भारत में, खंड के संदर्भ में आई. सी. ए. आई. में पंजीकृत लोगों को छोड़कर (हाय) एक नेटवर्क के रूप में, नेटवर्क दिशानिर्देशों के अनुसार

जैसा कि आई. सी. ए. आई. द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाता है।

} }

[(पृष्ठ पर रिपोर्ट का खंड 7.12 (v)। 152 एसएलपी No.1808 का

2016] . " एस. सुकुमार बनाम। एस. आई. सी. , इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया [आदर्श कुमार गोयल, जे.]

38. दिशानिर्देश एक नेटवर्क के पंजीकरण की अनुमति देते हैं और पीडब्ल्यूसी फर्मों ने उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी घोषणा दायर की है और आईसीएआई के नियमों के अनुसार भारत में पंजीकृत हैं। बस।

क्योंकि पीडब्ल्यूसी ऑडिट फर्म वैश्विक पीडब्ल्यूसी नेटवर्क का हिस्सा हैं, अपने आप में किसी भी लागू कानून का उल्लंघन नहीं करती हैं। वित्तीय वर्षों 2008-09,2009-10 और 2010-11 में प्राप्त अनुदानों के संबंध में, रु। 142.9, कर का भुगतान मूल्यांकन के अनुसार किया गया है और कार्यवाही लंबित है। नेटवर्क ने आई. सी. ए. आई. को सारी जानकारी दे दी है। 39. चूंकि सभी भागीदार भारतीय हैं और आईसीएआई के साथ पंजीकृत हैं, इसलिए वे किसी भी पेशेवर के लिए व्यक्तिगत रूप से आईसीएआई के प्रति जवाबदेह हैं

दुराचार। सर्विसेज बीवी की साझेदारी में कोई हिस्सेदारी नहीं है या

कम्पनियों का लाभ। इस प्रकार, सीए अधिनियम की धारा 25 का कोई उल्लंघन नहीं है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी)/ईडी का रुख

40. सीबीडीटी द्वारा लिया गया रुख यह है कि याचिकाकर्ता के वकील से 1 जुलाई, 2013 को पत्र प्राप्त होने पर, जांच की गई थी आयकर प्रभावों के संबंध में आयकर महानिदेशक (जांच) (डी. जी. आई. टी.) द्वारा संचालित। यह पाया गया कि पीडब्ल्यूसी समूह से संबंधित 11 संस्थाएं भारत में काम कर रही हैं। चार संस्थाओं को एक करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ है। 2009 से 2013 की अवधि के दौरान पीडब्ल्यूसी सर्विसेज बीवी से 477.64 करोड़। अनुदान दो प्रकार के होते हैं-व्यावसायिक क्षमता निर्माण और व्यवसाय का विस्तार। रु. उन करों के लिए 416.39 करोड़ की पेशकश की जाती है जिन पर "विविध आय" के रूप में पेशेवर क्षमता निर्माण के लिए कर लगाया जाता था। शेष राशि को व्यवसाय के विस्तार के लिए पूंजी रसीद के रूप में दावा किया गया था। निर्धारण अधिकारी ने कर का आकलन किया और कार्यवाही लंबित थी। ईडी के अनुसार, मामले में जांच लंबित है, हालांकि कई गवाहों से पूछताछ की गई है।

कंपनी के लेखा परीक्षकों के खिलाफ कुछ कार्यवाही अभी भी लंबित है। आरबीआइ का रुख

42. आर. बी. आई. का रुख यह है कि वह केवल परिपत्र जारी करता है और फेमा के तहत विनियम बनाता है, लेकिन इसके लिए कोई जांच नहीं करता है।

उसका अनुपालन। विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत में फर्म या स्वामित्व संबंधी संस्था में निवेश) विनियम, 2000 [2018] 2 एस. सी. आर.

भारत के बाहर रहने वाला व्यक्ति भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना किसी फर्म या स्वामित्व में निवेश नहीं कर सकता है। पैरा 3 के अनुसार। 2 भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व मंजूरी के बिना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति नहीं है।

सांविधिक प्रावधान 43. सीए अधिनियम की धारा 2 (2), 25 और 29 को पुनः प्रस्तुत किया गया है।

:

प्राप्त या प्राप्त किया जाना-(i) लेखांकन के अभ्यास में खुद को संलग्न करता है; या (ii) वित्तीय लेनदेन, पुस्तकों, खातों या अभिलेखों के लेखा परीक्षा या सत्यापन, या वित्तीय लेखांकन और संबंधित विवरणों की तैयारी, सत्यापन या प्रमाणन से जुड़ी सेवाओं को करने या करने का प्रस्ताव देता है या स्वयं को एक लेखाकार के रूप में जनता के सामने रखता है; या (iii) सैद्धांतिक मामलों में या उनके बारे में पेशेवर सेवाएं या सहायता प्रदान करता है।

लेखा प्रक्रिया या अभिलेखन से संबंधित विवरण,

वित्तीय तथ्यों या आंकड़ों की प्रस्तुति या प्रमाणन; या] (iv) ऐसी अन्य सेवाएं प्रदान करता है जो परिषद की राय में हैं:

या [व्यवहार में] एक चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है; और "व्यवहार में होने के लिए" शब्दों को उनके व्याकरणिक भिन्नताओं और संज्ञानात्मक अभिव्यक्तियों के साथ तदनुसार समझा जाएगा। 3 व्याख्या: संस्थान का कोई सहयोगी या अध्येता जो

[व्यवहार में] किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट या [ऐसे चार्टर्ड एकाउंटेंटों की एक फर्म] के वेतनभोगी कर्मचारी को, इस तरह के रोजगार के बावजूद, [स्पष्ट [सहायकों के प्रशिक्षण] के सीमित उद्देश्य के लिए व्यवहार में माना जाएगा। 25. कंपनियाँ लेखांकन में संलग्न न हों। (1) कोई कंपनी नहीं,

चाहे वह भारत में निगमित हो या कहीं और, चार्टर्ड एकाउंटेंट के रूप में कार्य करेगा। (2) यदि कोई कंपनी उप-धारा (1) के प्रावधानों का उल्लंघन करती है, तो कंपनी के खिलाफ की जाने वाली किसी भी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक

निदेशक, प्रबंधक, सचिव और उसका कोई अन्य अधिकारी जो

रुपये, और बाद में किसी भी दोषसिद्धि पर पाँच हजार रुपये। 29. पारस्परिकता। (1) जहां कोई भी देश, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, वहां सुकुमार v.

एस. आई. सी. , इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टरड कंटेंट्स ऑफ इंडिया [आदर्श कुमार गोयल, जे.]

भारतीय अधिवासी व्यक्तियों को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के समान किसी भी संस्थान का सदस्य बनने या लेखांकन के पेशे का अभ्यास करने से रोकता है या उन्हें उस देश में अनुचित भेदभाव के अधीन रखते हुए, ऐसे किसी भी देश का कोई भी विषय संस्थान का सदस्य बनने या भारत में लेखांकन के पेशे का अभ्यास करने का हकदार नहीं होगा। (2) उप-धारा (1) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, परिषद ऐसी शर्तें, यदि कोई हों, निर्धारित कर सकती है जिनके अधीन रहते हुए विदेशी

लेखांकन से संबंधित योग्यताओं को रजिस्टर में प्रविष्टि के उद्देश्यों के लिए मान्यता दी जाएगी। [29 ए. केंद्र की शक्ति सरकार नियम बनाए। (1) केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बना सकती है। (2) विशेष रूप से और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्: - ((क) चुनाव का तरीका और

धारा 9 की उप-धारा (2) के तहत परिषद में सदस्यों के संबंध में नामांकन; (बी) पीठासीन अधिकारी और न्यायाधिकरण के सदस्यों की सेवा के नियम और शर्तें,

धारा 10 ख की उप-धारा (3) के तहत उन्हें दी जाने वाली बैठकें और भत्ते; (ग) धारा 21 की उप-धारा (4) के तहत जांच की प्रक्रिया; (घ) उप-धारा (2) के तहत अनुशासनात्मक समिति द्वारा मामलों पर विचार करते समय प्रक्रिया और इसके तहत नामित सदस्यों के भत्तों का निर्धारण।

धारा 21 ख की उप-धारा (4); (ङ) अध्यक्ष और सदस्यों के भत्ते और सेवा के नियम और शर्तें।

प्राधिकरण और धारा 22 सी के तहत परिषद द्वारा व्यय को पूरा करने का तरीका; (च) धारा 28 सी के तहत बोर्ड द्वारा अपनी बैठकों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया; और (छ) अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के नियम और शर्तें। बोर्ड धारा 28 डी की उप-धारा (1) के तहत।] "

सीए अधिनियम की पहली और दूसरी अनुसूचीः

[पहली अनुसूची]

[धारा 21 (3), 21 ए (3) और 22 देखें]

भाग I

चार्टर के संबंध में व्यावसायिक कदाचार

व्यवहार में लेखाकार

व्यवहार में एक चार्टर्ड एकाउंटेंट को पेशेवर कदाचार का दोषी माना जाएगा, यदि वह-[2018] 2 एस. सी. आर.

लेखाकार जब तक कि ऐसा व्यक्ति व्यवहार में एक चार्टर्ड एकाउंटेंट भी न हो और उसके साथ साझेदारी में हो या उसके द्वारा नियोजित न हो; (2) संस्थान के सदस्य या भागीदार या सेवानिवृत्त भागीदार या कानूनी व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को अपने व्यावसायिक व्यवसाय के शुल्क या लाभ में किसी भी शेयर, कमीशन या दलाली का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भुगतान करने या अनुमति देने या अनुमति देने या अनुमति देने के लिए सहमत होना।

मृत साथी के प्रतिनिधि, या किसी अन्य पेशेवर निकाय के सदस्य या ऐसे अन्य व्यक्तियों के साथ जिनके पास ऐसा है

भारत में या उसके बाहर समय-समय पर ऐसी व्यावसायिक सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से निर्धारित योग्यताएँ। स्पष्टीकरण। - इस मद में, "भागीदार" में भारत के बाहर रहने वाला एक व्यक्ति शामिल है जिसके साथ व्यवहार में एक चार्टर्ड एकाउंटेंट है।

बशर्ते कि इसमें निहित किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी सदस्य को लाभ साझा करने या कोई शेयर कमीशन प्राप्त करने सहित इसी तरह की अन्य व्यवस्थाओं में प्रवेश करने से रोकता है। या शुल्क में दलाली, ऐसे पेशेवर निकाय के सदस्य या योग्यता रखने वाले अन्य व्यक्ति के साथ, जैसा कि में संदर्भित है

इस भाग की मद (2);

भागीदार या ऐसे माध्यमों से जो किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट के लिए खुले नहीं हैं, कोई भी पेशेवर व्यवसायः बशर्ते कि इसमें निहित कुछ भी सुकुमार v के रूप में नहीं माना जाएगा।

बशर्ते कि इसमें निहित कुछ भी रोकने या निषेध करने के रूप में नहीं माना जाएगा - (i) किसी भी चार्टर्ड एकाउंटेंट को किसी अन्य चार्टर्ड से पेशेवर काम के लिए आवेदन करने या अनुरोध करने या आमंत्रित करने या प्राप्त करने से

व्यवहार में लेखाकार; या

((ii) एक सदस्य जो समय-समय पर पेशेवर सेवाओं या संगठनों के विभिन्न उपयोगकर्ताओं द्वारा जारी निविदाओं या पूछताछ का जवाब देता है और इसके परिणामस्वरूप पेशेवर काम हासिल करता है; (7) अपनी पेशेवर उपलब्धियों या सेवाओं का विज्ञापन करता है, या चार्टर्ड एकाउंटेंट के अलावा किसी अन्य पदनाम या अभिव्यक्ति का उपयोग करता है।

पेशेवर दस्तावेजों, विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड या साइन बोर्ड पर, जब तक कि यह भारत में कानून द्वारा स्थापित या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री या भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान या किसी अन्य संस्थान की सदस्यता का संकेत देने वाला शीर्षक न हो, जिसे केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो या जिसे परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त हो।

बशर्ते कि व्यवहार में एक सदस्य एक के माध्यम से विज्ञापन दे सकता है परिषद द्वारा जारी किए जाने वाले दिशानिर्देशों के अधीन, उसके या उसकी फर्म द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं और उसकी फर्म के विवरणों को निर्धारित करना;

(8) पहले किसी अन्य द्वारा आयोजित लेखा परीक्षक के रूप में एक पद स्वीकार करता है

225 ऐसी नियुक्ति के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 के 9 का विधिवत पालन किया गया है; (10) शुल्क या किसी भी पेशेवर रोजगार के संबंध में शुल्क लेने, स्वीकार करने या स्वीकार करने का प्रस्ताव, शुल्क जो [2018] 2 एस. सी. आर. पर आधारित हैं।

लाभ के प्रतिशत पर या जो इस पर निर्भर हैं इस अधिनियम के तहत बनाए गए किसी भी विनियमन के तहत अनुमति के अलावा, ऐसे रोजगार के निष्कर्ष या परिणाम;

(11) इसके अलावा किसी अन्य व्यवसाय या व्यवसाय में संलग्न

सनदी लेखाकार का पेशा जब तक कि परिषद द्वारा अनुमति न दी जाए

तो संलग्न करने के लिए:

बशर्ते कि इसमें निहित कोई भी बात किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट को किसी कंपनी का निदेशक होने (प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक नहीं होने) से वंचित नहीं करेगी, जब तक कि वह या उसका कोई भी भागीदार ऑडिटर के रूप में ऐसी कंपनी में रुचि नहीं रखता है।

(12) किसी व्यक्ति को संस्थान का सदस्य नहीं होने की अनुमति देता है

ऐसा व्यवहार, या कोई सदस्य जो अपनी ओर से या अपनी फर्म की ओर से कोई तुलनपत्र, लाभ और हानि खाता, विवरण या वित्तीय विवरण पर हस्ताक्षर करने के लिए उसका भागीदार नहीं है।

भाग II

सेवा में संस्थान के सदस्यों के संबंध में व्यावसायिक कदाचार

संस्थान का कोई सदस्य (व्यवहार में किसी सदस्य के अलावा) पेशेवर कदाचार का दोषी माना जाएगा, यदि वह किसी कंपनी, फर्म या व्यक्ति का कर्मचारी है - (1) किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के परिलब्धियों में किसी भी हिस्से का भुगतान करने या अनुमति देने या भुगतान करने के लिए सहमत होना।

उसके द्वारा किया गया;

(2) किसी वकील, चार्टर्ड एकाउंटेंट या दलाल से शुल्क, लाभ या लाभ के किसी भी हिस्से को स्वीकार करता है या स्वीकार करने के लिए सहमत होता है।

ऐसी कंपनी, फर्म या व्यक्ति या एजेंट या ग्राहक कमीशन या संतुष्टि के माध्यम से कंपनी, फर्म या व्यक्ति।

भाग III

आम तौर पर संस्थान के सदस्यों के संबंध में व्यावसायिक कदाचार

संस्थान का कोई सदस्य, चाहे व्यवहार में हो या नहीं, पेशेवर दुराचार का दोषी माना जाएगा, यदि वह - (1) संस्थान का अध्येता नहीं होने के कारण, संस्थान के अध्येता के रूप में कार्य करता है; सुकुमार बनाम।

एस. आई. सी. , इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टरड कंटेंट्स ऑफ इंडिया [आदर्श कुमार गोएल, जे.]

(2) संस्थान, परिषद या इसकी किसी भी समिति, निदेशक (अनुशासन), अनुशासन बोर्ड, अनुशासन समिति, गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड या अपीलीय प्राधिकरण द्वारा मांगी गई जानकारी की आपूर्ति नहीं करता है, या मांगी गई आवश्यकताओं का पालन नहीं करता है; (3) किसी अन्य चार्टर्ड एकाउंटेंट से पेशेवर काम आमंत्रित करते समय या निविदाओं या पूछताछ का जवाब देते समय या इस अनुसूची के भाग I की वस्तुओं (6) और (7) में दिए गए लेख या किसी भी चीज़ के माध्यम से विज्ञापन देते समय, यह जानते हुए जानकारी देता है कि यह गलत है।

भाग IV

सामान्यतया संस्थान के सदस्यों के संबंध में अन्य कदाचार संस्थान का कोई सदस्य, चाहे वह व्यवहार में हो या नहीं,

अन्य दुराचार का दोषी माना जाता है, यदि वह

(1) किसी सिविल या आपराधिक अदालत द्वारा किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है जो छह महीने से अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है;

(2) परिषद की राय में, पेशे को बदनाम करता है

या संस्थान उसके कार्य के परिणामस्वरूप, चाहे वह उसके व्यावसायिक कार्य से संबंधित हो या नहीं।]

दूसरी अनुसूची

[धारा 21 (3), 21 बी (3) और 22 देखें]

भाग I

व्यवहार में चार्टर्ड एकाउंटेंटों के संबंध में व्यावसायिक कदाचार

व्यवहार में एक चार्टर्ड एकाउंटेंट को पेशेवर कदाचार का दोषी माना जाएगा, यदि वह - (1) अपने मुवक्किल की सहमति के बिना या उस समय लागू किसी भी कानून द्वारा आवश्यक जानकारी के अलावा, अपने मुवक्किल के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को अपने पेशेवर जुड़ाव के दौरान प्राप्त जानकारी का खुलासा करता है।

(2) अपने नाम से या अपनी फर्म के नाम से वित्तीय विवरणों की जांच की रिपोर्ट को प्रमाणित या प्रस्तुत करता है जब तक कि [2018] 2 एस. सी. आर.

ऐसे बयानों और संबंधित अभिलेखों की जांच उसके द्वारा या उसकी फर्म में किसी भागीदार या कर्मचारी द्वारा या व्यवहार में किसी अन्य चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा की गई है;

(3) भविष्य पर निर्भर आय के अनुमान के संबंध में उसके नाम या उसकी फर्म के नाम का उपयोग करने की अनुमति देता है।

(4) किसी भी व्यवसाय या उद्यम के वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करता है जिसमें उसका, उसकी फर्म या उसकी फर्म में एक भागीदार का पर्याप्त हित है; (5) उसे ज्ञात किसी भौतिक तथ्य का खुलासा करने में विफल रहता है जिसका खुलासा वित्तीय विवरण में नहीं किया जाता है, लेकिन जिसका खुलासा ऐसा वित्तीय विवरण देने में आवश्यक है जहां वह है।

एक पेशेवर क्षमता में उस वित्तीय विवरण से संबंधित;

(6) एक वित्तीय विवरण में दिखाई देने के लिए उसे ज्ञात एक भौतिक गलत कथन की रिपोर्ट करने में विफल रहता है जिसके साथ वह एक में चिंतित है

(10) अपने मुवक्किल के धन को शुल्क या पारिश्रमिक या अलग से खर्च किए जाने वाले धन के अलावा रखने में विफल रहता है बैंकिंग खाता या ऐसे धन का उपयोग उन उद्देश्यों के लिए करना जिनके लिए वे उचित समय के भीतर अभिप्रेत हैं।

भाग II

आम तौर पर संस्थान के सदस्यों के संबंध में व्यावसायिक कदाचार

संस्थान का कोई सदस्य, चाहे व्यवहार में हो या नहीं, पेशेवर दुराचार का दोषी माना जाएगा, यदि वह सुकुमार बनाम।

एस. आई. सी. , इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टरड कंटेंट्स ऑफ इंडिया [आदर्श कुमार गोयल, जे.]

उन्हें झूठा होना जानते हुए; (4) उसकी पेशेवर क्षमता में प्राप्त धन का गबन या गबन करता है।

भाग III

सामान्यतया संस्थान के सदस्यों के संबंध में अन्य कदाचार

संस्थान के किसी सदस्य को, चाहे वह व्यवहार में हो या नहीं, अन्य कदाचार का दोषी माना जाएगा, यदि उसे किसी दीवानी या आपराधिक अदालत द्वारा किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है जो छह महीने से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय है।

विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत में फर्म या स्वामित्व संबंधी संस्था में निवेश) विनियम, 2000 का विनियम 3

" 3. भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति द्वारा भारत में किसी फर्म या स्वामित्व वाली संस्था में निवेश पर प्रतिबंध अधिनियम या नियमों या विनियमों में अन्यथा दिए गए प्रावधान के अनुसार बचत करें

इसके तहत जारी किए गए या निर्देश या आदेश, भारत के बाहर रहने वाला कोई भी व्यक्ति किसी फर्म या स्वामित्व वाली संस्था या भारत में व्यक्तियों के किसी संघ की पूंजी में योगदान के माध्यम से कोई निवेश नहीं करेगा। बशर्ते कि रिजर्व बैंक, उसे किए गए आवेदन पर, भारत के बाहर रहने वाले किसी व्यक्ति को ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन रहने की अनुमति दे सकता है जो किसी फर्म या स्वामित्व वाली संस्था या भारत में व्यक्तियों के किसी संघ की पूंजी में योगदान के माध्यम से निवेश करने के लिए आवश्यक माने जाएं।

खंड 3. 2 (2010 के परिपत्र 2 का III) समेकित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (सी. एफ. डी. आई.) नीतिः

" 3.3. 2 साझेदारी फर्म/प्रोपराइटरी कंसर्न में एफडीआईः (iii) एन. आर. आई. एस./पी. आई. ओ. के अलावा गैर-निवासियों द्वारा निवेशः एक व्यक्ति

एन. आर. आई./पी. आई. ओ. के अलावा भारत के बाहर रहने वाले लोग

आवेदन करें और भारत में किसी फर्म या स्वामित्व संस्था या व्यक्तियों के किसी संघ की पूंजी में योगदान के माध्यम से निवेश करने के लिए रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमोदन लें। आवेदन पर विचार-विमर्श करके निर्णय लिया जाएगा

भारत सरकार "।

इस मुद्दे का उपहास 44. उपरोक्त तथ्यों और अभिवचनों का सारांश निम्नलिखित को दर्शाता हैः

(i)

सीए अधिनियम के तहत एक के लिए सीए के रूप में अभ्यास करने के लिए एक बार है कंपनी जिसमें एक सामान्य सीमित देयता शामिल है

साझेदारी जिसमें कंपनी भागीदार हो।

सीए के लिए आचार संहिता शुल्क साझा करने पर रोक लगाती है,

(ख)

विज्ञापन लेकिन एम. ए. एफ. अंतरराष्ट्रीय ब्रांडों का उपयोग करके और चार्टर्ड एकाउंटेंसी के अभ्यास के हिस्से के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवाओं के साथ अन्य सेवाओं को मिलाकर उक्त आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं जिसके लिए कोई नियामक नहीं है।

एम. ए. एफ. के रूप में शासन आई. सी. ए. आई. के साथ खुद को पंजीकृत नहीं करते हैं। समान ब्रांड नामों का उपयोग करने वाली भारतीय कंपनियां आई. सी. ए. आई. के साथ पंजीकृत हैं, लेकिन वास्तविक संस्थाएं एम. ए. एफ. हैं, आई. सी. ए. आई. एम. ए. एफ. द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने में असमर्थ है। इस प्रकार, मौजूदा कानूनी ढांचे की समीक्षा आवश्यक हो सकती है ताकि आचार संहिता की कसौटी पर एम. ए. एफ. को विनियमित करने के लिए एक निरीक्षण तंत्र हो।

iii) अमेरिका में अधिनियमित सरबंस ऑक्सले अधिनियम की तर्ज पर लेखा परीक्षा सेवाओं के लिए अलग नियामक व्यवस्था के लिए कानून में संशोधन की आवश्यकता है ताकि लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार करने वाली एक विदेशी सार्वजनिक लेखा फर्म को जनता के प्रति जवाबदेह बनाया जा सके।

कंपनी लेखांकन। इसी तरह के निरीक्षण निकाय की आवश्यकता हो सकती है

भारत में विचार किया जाए।

iv) सी. ए. अधिनियम की धारा 29 में प्रावधान है कि यदि कोई निर्दिष्ट देश, भारतीय अधिवासी व्यक्तियों को बनने से रोकता है।

आई. सी. ए. आई. के समान किसी भी संस्थान के सदस्य या एस. सुकुमार बनाम का अभ्यास कर रहे हैं।

एस. आई. सी. , इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टरड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया [आदर्श कुमार गोयल, जे.]

लेखांकन का पेशा या उन्हें उस देश में अनुचित भेदभाव के अधीन करता है, ऐसे किसी भी देश का कोई भी विषय संस्थान का सदस्य बनने का हकदार नहीं होगा या

भारत में लेखांकन के पेशे का अभ्यास करें।

v) एफ. डी. आई. नीति और एफ. ई. एम. ए. के तहत बनाए गए आर. बी. आई. दिशानिर्देश भारत के बाहर किसी व्यक्ति द्वारा आर. बी. आई. की अनुमति के बिना किसी फर्म या स्वामित्व वाली संस्था की पूंजी में योगदान के माध्यम से निवेश करने पर रोक लगाते हैं। vi) पीडब्ल्यूसी सर्विसेज बीवी नीदरलैंड ने इसमें निवेश किया है।

भारतीय कंपनियाँ। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, निवेश का उद्देश्य ब्याज मुक्त ऋण देने के एक घुमावदार मार्ग के माध्यम से एक लेखा परीक्षा फर्म का अधिग्रहण करना भी है और आगे के निवेश कौशल बढ़ाने के लिए अनुदान के रूप में हैं। लाभ का बंटवारा लाइसेंस शुल्क/नेटवर्क शुल्क के रूप में होता है। नेटवर्क के अनुसार, सभी भागीदार भारतीय भागीदार हैं और सामान्य ब्रांड नाम का उपयोग केवल समान मानक के लिए है और अनुदान देना उक्त मानक को बनाए रखने के लिए है। भारत के बाहर किसी भी संस्था द्वारा कोई निवेश नहीं किया गया था। न ही यह भारतीय द्वारा लाभ साझा करने के बराबर है।

भारत के बाहर एक इकाई के साथ लेखा फर्म।

45. यह एक निर्विवाद तथ्य है कि भारत के बाहर से धन भेजा जाता है। इसे निवेश भी कहा जा सकता है, भले ही प्रेषण को भागीदारों को ब्याज मुक्त ऋण होने का दावा किया जाता है। यह राशि किसी भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंसी फर्म के अधिग्रहण के लिए भी हो सकती है। साझेदारी फर्मों के संबंध, हालांकि भारतीय भागीदार हैं, जो एक ही बुनियादी ढांचे से एक सामान्य ब्रांड नाम के तहत काम कर रहे हैं, विदेशी इकाई के साथ संबंध से इनकार नहीं किया जा सकता है। एफ. डी. आई. नीतियों, एफ. ई. एम. ए. विनियमों और सी. ए. ए. एक्ट के उल्लंघन से इंकार करना संभव नहीं है। इस प्रकार, उचित कार्रवाई हो सकती है

लंबित कार्यवाहियों में लिया जाना या उपयुक्त मंच पर शुरू किया जाना।

46. अब तक की गई जाँच को ऐसा नहीं माना जा सकता है

हर तरह से पूर्ण। आयकर अधिकारियों द्वारा जांच केवल आयकर के आकलन के लिए होती है। आरओसी द्वारा की गई कार्रवाई में यहां उठाए गए मुद्दे को भी शामिल नहीं किया गया है। कहा जाता है कि ईडी की जांच अभी भी लंबित है, हालांकि कहा जाता है कि कई लोगों से पूछताछ की गई है और दस्तावेज एकत्र किए गए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। उक्त जाँच फेमा उल्लंघनों से संबंधित है। आई. सी. ए. आई. ने विदेशी प्रेषण के संबंध में कार्रवाई शुरू की है और कहा जाता है कि उसने 19 मार्च, 2012 को भारतीय रिजर्व बैंक को यह पता लगाने के लिए एक पत्र लिखा है कि क्या जांच [2018] 2 एस. सी. आर. द्वारा की गई थी।

आरबीआइ। हालांकि, आई. सी. ए. आई. के अनुसार, इसकी जांच केवल संबंध में ही हो सकती है

इसके साथ पंजीकृत सदस्यों को उनके द्वारा किए गए कदाचार के लिए। आई. सी. ए. आई. इस मुद्दे की पूरी जानकारी के अभाव में पूरी जांच करने का दावा नहीं करता है कि क्या चार्टर्ड एकाउंटेंसी फर्म भारत के बाहर से प्रेषण प्राप्त करके या भारत के बाहर लाइसेंस शुल्क/नेटवर्क शुल्क भेजने से सीए अधिनियम की धारा 25 का उल्लंघन करते हुए लेखा व्यवसाय में किसी कंपनी या विदेशी संस्था की भागीदारी की अनुमति दी गई है और क्या नेटवर्क फर्मों द्वारा सामान्य ब्रांड नाम का उपयोग सी. ए. ए. अधिनियम की धारा 29 के तहत निर्धारित पारस्परिकता का उल्लंघन है। आई. सी. ए. आई. को प्रतिकूल निष्कर्ष निकालकर मामले को तार्किक अंत तक ले जाना चाहिए था, अगर संबंधित समूहों द्वारा जानकारी को रोक दिया गया था।

47. इसमें कोई संदेह नहीं है कि 29 जुलाई, 2011 की आई. सी. ए. आई. के विशेषज्ञों की समिति की रिपोर्ट में विशेष रूप से शामिल एम. ए. एफ. का नाम नहीं है, समूह ए, बी, सी, डी का उल्लेख किया गया है। आई. सी. ए. आई. को अपनी जांच को अद्यतन करने के लिए एक विशेषज्ञ पैनल का गठन करना चाहिए। एक विशेषज्ञ निकाय होने के नाते, इसे कानून को बनाए रखने के लिए मामले की आगे जांच करनी चाहिए और उचित कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को एक रिपोर्ट देनी चाहिए। यद्यपि समिति ने उपलब्ध तथ्यों का विश्लेषण किया और पाया कि एम. ए. एफ. नैतिकता और कानून के उल्लंघन में शामिल थे, लेकिन इसने अति तकनीकी दृष्टिकोण अपनाया कि पूर्ण जानकारी की अनुपलब्धता और इस तरह के समूह पंजीकरण के अभाव में इसके अनुशासनात्मक अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी नहीं थे। एक प्रमुख पेशेवर निकाय तकनीकी पर अपने निरीक्षण कार्यों को सीमित नहीं कर सकता है और सभी जुड़े और आनुषंगिक मुद्दों में जाकर पेशे की नैतिकता और मूल्यों को बनाए रखने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने की उम्मीद की जाती है।

लेखा परीक्षकों पर कार्रवाई की जाती है और लेखा परीक्षकों की विफलताओं के परिणामस्वरूप अतीत में घोटाले हुए हैं। लेखापरीक्षा पेशे के लिए उचित निरीक्षण की आवश्यकता होती है। इस तरह के निरीक्षण तंत्र पर समय-समय पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। यह बताया गया है कि एनरॉन एंडरसन घोटाले के बाद, वर्ष में

2000 , सरबंस ऑक्सले अधिनियम यू. एस. में अधिनियमित किया गया था जिसमें कॉर्पोरेट नेताओं को व्यक्तिगत रूप से अपनी कंपनी की वित्तीय सटीकता को प्रमाणित करने की आवश्यकता थी।

एस. सुकुमार बनाम। एस. आई. सी. , इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टरड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया [आदर्श कुमार गोयल, जे.]

अधिनियम लेखापरीक्षा कंपनियों के कामकाज के लिए भी नियम निर्धारित करता है ताकि कॉर्पोरेट विश्लेषकों को सार्वजनिक हित की कीमत पर लाभ से रोका जा सके। लेखापरीक्षा कंपनियों को उन कंपनियों को गैर लेखापरीक्षा सेवाएं प्रदान करने से भी प्रतिबंधित कर दिया गया था जिनके लेखापरीक्षा ऐसे लेखा परीक्षकों द्वारा की गई थी। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि पर्याप्त निरीक्षण तंत्र की अनुपस्थिति में जनहित और कानून के शासन का उल्लंघन करने की क्षमता है जो अनुच्छेद 14 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों का हिस्सा हैं। यह समझना आवश्यक प्रतीत होता है कि लेखा परीक्षकों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए लेखा परीक्षा व्यवसाय को परामर्श व्यवसाय से अलग करने की आवश्यकता है। लेखा फर्मों को स्वयं को विनियमित करने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता था।

50. जबकि हम इस बात की सराहना करते हैं कि यह नीति निर्माताओं को इस मुद्दे पर निर्णय लेना है कि किस हद तक वैश्वीकरण की अनुमति दी जा सकती है।

विशेष क्षेत्र और परिस्थितियाँ जिनके अधीन इसकी अनुमति दी जा सकती है। इस प्रक्रिया में देश के समाज और अर्थव्यवस्था में सुरक्षा उपाय सर्वोपरि हैं। यह न्यायालय नीति निर्माण में खुद को शामिल नहीं कर सकता है, लेकिन यह पता लगाने के लिए कि क्या मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सुरक्षा उपायों को विधिवत बनाए रखा गया है, नीतिगत ढांचे पर निश्चित रूप से विचार किया जा सकता है। वर्तमान संदर्भ में, सी. ए. अधिनियम, वर्तमान एफ. डी. आई. नीति और आर. बी. आई. परिपत्रों के तहत वैधानिक ढांचे के तहत, यह प्रथम दृष्टया प्रतीत हो सकता है कि वैधानिक प्रावधानों और नीतिगत ढांचे का उल्लंघन हुआ है जिसका प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कानून के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए सांविधिक नियामक प्रावधानों को सार्थक रूप से लागू किया जाना चाहिए। कोई भी निहित स्वार्थ केवल रूप में अनुपालन को प्रकट करके इसका उल्लंघन नहीं कर सकता है। अनुपालन सार में होना चाहिए। कानून लागू करने वाली एजेंसियों से वास्तविक स्थिति देखने की उम्मीद की जाती है। जैसा कि विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट में पाया है कि

एम. ए. एफ. द्वारा अनुपालन केवल रूप में और सार में नहीं, भारतीय भागीदारों के साथ पंजीकृत साझेदारी फर्मों को प्राप्त करने से, चार्टर्ड एकाउंटेंसी के व्यवसाय के लेन-देन के वास्तविक लाभार्थी बने रहते हैं विदेशी संस्थाओं की कंपनियाँ। साझेदारी फर्म केवल कानून की अवहेलना करने के लिए एक चेहरा हैं। निगमित पर्दा उठाने का सिद्धांत तब लागू होता है जब कानून को दरकिनार करने की कोशिश की जाती है। आधुनिक न्यायशास्त्र के क्षितिज के विस्तार में, यह निश्चित रूप से स्वीकार्य है। इसकी सीमाएँ असीमित हैं। सिद्धांत का क्षितिज विस्तार कर रहा है। जबकि कंपनी

एक अलग इकाई है, न्यायालय ने इस नियम के कई अपवादों को मान्यता दी है। एक अपवाद यह है कि जहां कॉर्पोरेट व्यक्तित्व का उपयोग धोखाधड़ी या अनुचित आचरण या कानून के उल्लंघन के लिए किया जाता है। सार्वजनिक हित का संरक्षण सर्वोपरि है, यदि निगमित व्यक्तित्व [2018] 2 एस. सी. आर.

कानून द्वारा लगाए गए दायित्वों से बचने के लिए उपयोग किया जाना है, वास्तविक स्थिति को देखने की आवश्यकता है। देखरेख करते समय भी यही सिद्धांत लागू होता है लाभ साझा करने की अनुमति नहीं देने या व्यवसाय के लिए अधिकतम सीमा का पालन करने की लागू नैतिकता का अनुपालन जो आउटसोर्सिंग के लिए उप अनुबंधों की तकनीक का उपयोग करके उल्लंघन किया जाता है। यदि परिसर समान है, फोन नंबर/फैक्स नंबर समान है, ब्रांड नाम समान है, नियंत्रक इकाई समान है, मानव संसाधन समान हैं, तो यह उम्मीद करना मुश्किल होगा कि केवल एक फर्म के अलग पंजीकरण पर पूर्ण अनुपालन है। सी. ए. अधिनियम की धारा 25 के तहत प्रतिबंध को विफल माना जा सकता है। शायद यही कारण है कि नेटवर्क फर्मों ने समिति द्वारा मांगी गई जानकारी देने से परहेज किया। लेखापरीक्षा कार्य के लिए अलग निरीक्षण निकाय का मुद्दा और मौजूदा कानूनी ढांचे को अद्यतन करना आवश्यक प्रतीत होता है।

51. दूसरा पहलू सीए फर्मों में निवेश का है, जो एफडीआई नीति के निषेध का उल्लंघन है, जिसमें बिना ब्याज के एक घुमावदार मार्ग का उपयोग किया गया है।

भागीदारों को ऋण। यह तथ्य कि आयकर अधिकारियों ने प्राप्त अनुदान को राजस्व प्राप्तियों के रूप में लिया है और उस पर कर लगाया है, यह मानने के लिए निर्णायक नहीं है कि रसीद एक ऐसा निवेश नहीं है जिसकी अनुमति नहीं है। यदि निवेश की अनुमति नहीं है, तो कानून की नीति को ऐसे निवेश को गुणवत्ता नियंत्रण के लिए अनुदान के रूप में संदर्भित करके पराजित नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से जब अनुदान का उपयोग एक चार्टर्ड एकाउंटेंसी फर्म का अधिग्रहण करने के लिए किया गया हो।

52. पुनरीक्षण और निरीक्षण तंत्र के पुनर्गठन का अभाव

जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, एक तरफ मौजूदा चार्टर्ड एकाउंटेंसी पेशे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और अनियंत्रित भी।

दूसरी ओर लेखापरीक्षा निकाय देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। इसके अलावा, चार्टर्ड एकाउंटेंसी व्यवसाय करने वाली कंपनियों की व्यक्तिगत या व्यक्तिगत जवाबदेही नहीं होगी जो आवश्यक है। जो व्यक्ति चेहरे हैं वे महत्वहीन हो सकते हैं और निषिद्ध गतिविधि के वास्तविक मालिक या लाभार्थी मुक्त हो सकते हैं। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, अध्ययन समूह और विशेषज्ञ समूह की रिपोर्टों से पता चलता है कि प्रवर्तन तंत्र पर्याप्त और प्रभावी नहीं है। इस पहलू पर सरकार के विशेषज्ञों द्वारा विचार किए जाने की आवश्यकता है। यह विचार कर सकता है कि क्या सरबंस ऑक्सले अधिनियम की तर्ज पर कॉर्पोरेट नेताओं को व्यक्तिगत रूप से प्रमाणित करने की आवश्यकता है

वित्तीय विवरणों की सटीकता। इसके अलावा, कैसे रोकें

1 1 राजस्थान राज्य बनाम गोटन लाइम स्टोन खानजी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड (2016) 4 एस. सी. सी. 469, पैरा 24 से 28; कर्नाटक राज्य बनाम सेल्वी जे. जयललिता (2017) 6 एस. सी. सी. 263, पैरा 205 से 211 जे. एम. ए. आर. बनाम।

एस. आई. सी. , इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टरड एनटैंट्स ऑफ इंडिया [आदर्श कुमार गोएल, जे.]हितों के टकराव से लाभान्वित होने से, कंपनियों को गैर-लेखा परीक्षा सेवाएं प्रदान करने से और लेखा परीक्षकों के लिए लेखपाल कैसे बनाए जाएं। यह भी हमारे ध्यान में लाया गया है कि अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका के डोड-फ्रैंक वॉल स्ट्रीट सुधार और उपभोक्ता अधिनियम, 2010 में

निवेश की जरूरतों के जोखिम को कम करने के लिए संस्थान

पर। यह वित्तीय स्थिरता नामक एक निरीक्षण निकाय की स्थापना करता है।

परिषद (एफएसओसी)। तदनुसार, हम निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैं:

भारत संघ तीन सदस्यों का गठन कर सकता है।

विशेषज्ञों की समिति इस सवाल पर गौर करेगी कि क्या और किस हद तक सीए अधिनियम की धारा 25 और 29 और सीए के लिए वैधानिक आचार संहिता को लागू करने के लिए वैधानिक ढांचे पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है ताकि उचित रूप से अनुशासन और एमएएफ को विनियमित किया जा सके। द.

अमेरिका में डोड फ्रैंक वॉल स्ट्रीट सुधार और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2010 या लेखा परीक्षकों के पेशे की निगरानी के लिए कोई अन्य उपयुक्त तंत्र। सवाल करें कि क्या सलाहकारों के साथ लेखा परीक्षकों के हितों के टकराव के कारण, लेखा परीक्षकों के पेशे की जांच के लिए एक विशेष निरीक्षण निकाय की आवश्यकता हो सकती है। समिति अध्ययन समूह और विशेषज्ञ समूह की रिपोर्टों की जांच कर सकती है।

ऊपर, किसी भी अन्य सामग्री के अलावा। यह प्रावधानों के प्रभावी प्रवर्तन के लिए कदम उठाने पर भी विचार कर सकता है एफ. डी. आई. नीति और ऊपर उल्लिखित फेमा विनियम। यह उन उपचारात्मक उपायों की पहचान कर सकता है जिन पर उचित अधिकारियों द्वारा विचार किया जा सकता है। समिति सभी संबंधित लोगों से सुझाव मांग सकती है। ऐसी समिति का गठन दो महीने के भीतर किया जा सकता है। समिति की रिपोर्ट उसके बाद तीन महीने के भीतर प्रस्तुत की जा सकती है। यू. ओ. आई. उचित विचार के बाद आगे की कार्रवाई कर सकता है

ऐसी रिपोर्ट।

ईडी तीन दिनों के भीतर लंबित जांच पूरी कर सकता है।

महीने; 498

(iii) आई. सी. ए. आई. तीन महीने के भीतर यथासंभव उपयुक्त स्तर पर सभी संबंधित मुद्दों की जांच कर सकता है और ऐसे आगे के कदम उठा सकता है जिन्हें आवश्यक माना जाए।

तदनुसार मामलों का निपटारा किया जाता है।

देविका गुजराल